न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

पीठासीन अधिकारी	–	शालिनी शर्मा, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दीवानी मूल वाद संख्या	–	71/2021 (47/2012)
सी.आई.एस. संख्या	–	601/2014
सी.एन.आर. नं.		RJAJ170002852012

पंजाब नेशनल बैंक जो कि दी बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अंकन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 के तहत वैधानिक निकाय है, जिसका मुख्य कार्यालय भीखाजी कामा पैलेस न्यू दिल्ली में है, जिसकी विभिन्न शाखाओं में से एक शाखा मुख्य बाजार मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर में स्थित है जरिए इसके वरिष्ठ प्रबंधक टी. आर. मीणा पुत्र श्री चिरन्जीलाल जी मीणा, उम्र–54 वर्ष, निवासी कर्मचारी कॉलोनी, गंगापुरसिटी, जिला– सवाईमाधोपुर, हाल निवासी मदनगंज किशनगढ़, जिला–अजमेर।

––वादी

ब ना म

1. घेवर चन्द बड़ौला पुत्र स्व. श्री सौभागमल बड़ौला, निवासी ग्राम टांटोटी, तहसील सरवाड़, जिला–अजमेर (राज.) **मृतक** जरिये वारिसान–

   1/1– श्रीमती मंजू उम्र लगभग 58 वर्ष पत्नी स्व. घेवरचन्द बडौला

   1/2– संदीप कुमार उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र स्व. घेवरचन्द बड़ौला

   1/3– प्रदीप कुमार उम्र लगभग 33 वर्ष पुत्र स्व. घेवरचन्द बड़ौला सर्वनिवासीगण (1) ग्राम टांटोटी, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर (राज.) एवं (2) "श्रीहार्डवेयर" बस स्टेण्ड विलीवाक्रम, चैन्नई।

   1/4– कुलदीप बड़ौला उम्र लगभग 31 वर्ष पुत्र स्व. घेवरचन्द बड़ौला, निवासी (1) ग्राम टांटोटी, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर, (राज.) एवं (2) C–1007, Vasathi Avante Apartment, Rachenhali, Bengalore–560045

2. सायरमल सिंघावत पुत्र स्व. श्री मोतीराम, निवासी ग्राम खेड़ागोपालपुरा पटवार हल्का झाड़ोल वाया अराई तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.)

––प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता वाद वास्ते वसूली रुपये

उपस्थित –
1. वादी की ओर से – अधिवक्त श्री विमल सिंह बाफना।
2. प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/3 की ओर से – अधिवक्ता श्री परमानन्द शर्मा।
3. प्रतिवादी सं. 1/4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
4. प्रतिवादी सं. 2 की ओर से – अधिवक्ता श्री गणेश प्रजापति।

– :: निर्णय :: –

दिनांक ::– 26.05.2026

1. वादी बैंक द्वारा यह वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता वाद वास्ते वसूली रुपये विरुद्ध प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, किशनगढ़, जिला अजमेर में प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर के आदेशानुसार अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिसे नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. वादपत्र के **संक्षिप्त तथ्य** इस प्रकार से है कि वादी बैंक बैंकिंग कम्पनीज (एक्वीजीशन एण्ड ट्रांसफर ऑफ अण्डरटेंकिग) एक्ट, 1970 के तहत निगमित बैंकिंग संस्थान है। वादी बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिसका मुख्य कार्यालय भीखाजी कामा पैलेस न्यू दिल्ली में स्थित है एवं विभिन्न मण्डल कार्यालयों में से एक मण्डल कार्यालय, जोधपुर में स्थित है, जिसकी विभिन्न शाखाओं में से एक शाखा मुख्य बाजार, मदनगंज किशनगढ़ में स्थित है। वादी बैंक की मदनगंज–किशनगढ़ स्थित शाखा के वरिष्ठ प्रबन्धक टी.आर. मीणा पुत्र श्री चिरन्जी लाल जी मीणा बैंक के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त प्रलेख पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिये अपने हस्ताक्षरों से यह वाद प्रस्तुत करने हेतु सक्षम है। प्रतिवादी नं. 1 वादी बैंक की शाखा किशनगढ़ के वरिष्ठ प्रबन्धक पद पर दिनांक 15.01.2009 से दिनांक 17.12.2011 तक कार्यरत रहा है। प्रतिवादी नं. 1 के सेवाकाल में वादी बैंक के समस्त दैनिक व्यवसाय एवं व्यवस्था के लिये सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रतिवादी नं. 1 की रही है। इस रूप में प्रतिवादी नं. 1 वादी बैंक में

उपलब्ध समस्त अभिलेख सम्पत्ति एवं नकदी के लिये कस्टोडियन/ट्रस्टी के रूप में सेवारत एवं जिम्मेदार रहा है। प्रतिवादी नं. 2 वादी बैंक की शाखा किशनगढ़ में दिनांक 14.08.2008 से दिनांक 17.12.2011 तक मुख्य खजांची के पद पर रहते हुए वादी बैंक के नकदी सम्बन्धी समस्त दैनिक व्यवसाय एवं व्यवस्था के लिये वरिष्ठ प्रबंधक के साथ संयुक्त रुप से वरिष्ठ प्रबंधक के नियंत्रण एवं निर्देशन में कस्टोडियन/ट्रस्टी के रूप में जिम्मेदार था। वादी बैंक में समस्त नकद राशि बैंक के स्ट्रॉग रूम में सुरक्षित रखी जाती है, जिसमें राशि रखने एवं राशि निकालने का कार्य प्रतिवादी नं. 1 एवं 2 द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता था। स्ट्रॉग रूम से नकदी निकालने एवं इसमें नकदी वापस रखने का विवरण एक विशिष्ट पंजिका में नोटों के विवरण सहित (Demonation) रखा जाता है, जो प्रतिवादी नं. 2 द्वारा पोषित की जाती रही है एवं इस रजिस्टर में प्रतिवादी नं. 1 एवं प्रतिवादी नं. 2 द्वारा स्ट्रॉग रूम के ऑपरेशन के वक्त हस्ताक्षर किये हुये हैं। स्ट्रॉग रूम में से राशि निकालना एवं उसमें राशि वापस रखने का कार्य प्रतिवादी नं. 1 व 2 दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से बतौर कस्टोडियन/ट्रस्टी किया जाता था। स्ट्रॉग रूम का ऑपरेशन इन दोनों व्यक्तियों में से किसी एक अकेले व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोनों व्यक्तियों द्वारा अपनी–अपनी अलग–अलग चाबियां लगाने पर ही स्ट्रांग रूम खोला जा सकता है। वादी बैंक के अंचल निरीक्षण कार्यालय जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 08.12.2011 के एक आदेश जारी कर वादी बैंक की मदनगंज–किशनगढ़ शाखा की नकदी की आकस्मिक जांच करने का कार्य सत्यपाल सिंह, वरिष्ठ आन्तरिक निरीक्षक को सौंपा गया था। सत्यपाल सिंह द्वारा दिनांक 17.12.2011 को 11.00 ए.एम. पर वादी बैंक की समस्त नकदी का आकस्मिक निरीक्षण एवं जांच की, जिसके दौरान स्ट्रॉग रूम एवं ए.टी.एम. पर उपलब्ध समस्त नकद राशि अभिलेखों में अंकित राशि की तुलना में 64,48,300/– रुपये की राशि कम पाई गई। निरीक्षक सत्यपालसिंह द्वारा इसकी सूचना दूरभाष पर उच्च अधिकारियों को दी गई एवं सूचना मिलने पर दिनांक 17.12.2011 को ही मण्डल कार्यालय जोधपुर के उपमहाप्रबन्धक, मण्डल प्रमुख एवं वरिष्ठ प्रबंधक निरीक्षण

मण्डल कार्यालय जोधपुर वादी बैंक की मदनगंज स्थित शाखा पर पहुंचे जहां सत्यपालसिंह द्वारा प्रस्तुत नकदी की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मण्डल प्रमुख द्वारा पुनः अपनी मौजूदगी में सत्यपालसिंह एवं वादी बैंक की औद्योगिक क्षेत्र मदनगंज–किशनगढ़ स्थित शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक सुनील कुमार रावत के संयुक्त तत्वाधान में पुनः जांच करवाई गई तो अभिलेखों में अंकित राशि की तुलना में नकद राशि 64,48,300/– रुपये की कम पाये जाने की पुष्टी हुई। सत्यपालसिंह निरीक्षक द्वारा दिनांक 17.12.2011 को वादी बैंक में उपलब्ध नकदी की जांच रिपोर्ट तैयार कर वादी बैंक के मण्डल प्रमुख को सुपुर्द की गई, जिसकी बैंक द्वारा प्रमाणित प्रति वाद के साथ संलग्न है, जो वाद का अभिन्न अंग है, जो परिशिष्ट 1 है, जिसके अनुसार स्ट्रॉग रूम में रुपये 44,98,200/– एवं ए.टी.एम. में रुपये 19,50,100/– की राशि बैंक के अभिलेखों में अंकित राशि की तुलना में कम पाई गई थी। मण्डल प्रमुख द्वारा प्रतिवादी नं. 1 व 2 से उक्त प्रकार नकद राशि अभिलेखों की तुलना में कम पाये जाने के बारे में पूछताछ करने पर इन दोनों प्रतिवादीगण ने सत्यपाल सिंह एवं बैंक अधिकारी की साक्षी में अपनी–अपनी हस्तलिपि में अलग–अलग स्वीकारोक्ति लिखकर बैंक के मण्डल प्रमुख को सुपुर्द की एवं कम पाई गई राशि अपने द्वारा लिया जाना स्वीकार किया एवं बैंक को शीघ्र वापस अदा करने का वादा किया। प्रतिवादी नं. 1 व 2 द्वारा दी गई स्वीकारोक्ति दिनांक 17.12.2011 की सत्य प्रतिलिपि वाद के साथ संलग्न है, जो वाद का अंग है, जो परिशिष्ट 2 व 3 है। उपरोक्त दोनों स्वीकारोक्तियों की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर अलग से प्रस्तुत है। असल स्वीकारोक्तियां प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 647/11 अन्तर्गत धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द की हुई है। दिनांक 17.12.2011 को वादी बैंक के मण्डल कार्यालय जोधपुर के मण्डल प्रमुख द्वारा उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना मदनगंज पर दर्ज करवाई गई जहां दिनांक 17.12.2011 को 10.00 पी.एम. पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 647 अन्तर्गत धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता के दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया, जिसके तहत प्रतिवादी नं. 1 दिनांक

17.12.2011 से 29.01.2012 तक अन्यत्र गायब रहा। दिनांक 29.01.2012 को अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रतिवादी नं. 1 को गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार प्रतिवादी नं. 2 आज दिन तक पुलिस से बचने हेतु गायब है। इस कारण अनुसंधान अधिकारी द्वारा बाद अनुसंधान दिनांक 26.04.2012 को केवल प्रतिवादी नं. 1 के विरुद्ध न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजि. किशनगढ़ के यहां आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी नं. 1 द्वारा पुलिस जांच अधिकारी के समक्ष धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत दिनांक 30.01.2012, 06.02.2012 एवं 07.02.2012 को स्वेच्छापूर्वक सूचना देकर उक्त धन अपने द्वारा व्यक्तिगत उपयोग में लिया जाना स्वीकार किया है। उक्त फौजदारी प्रकरण में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नम्बर 01, किशनगढ़ द्वारा घेवरचन्द बडौला के विरूद्ध नियमानुसार विचारण करने के पश्चात् दिनांक 15.12.2012 को 3 वर्ष के साधारण कारावास एवं 20,000/– रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। इस निर्णय के विरूद्ध घेवर चन्द द्वारा माननीय अपर सेशन न्यायाधीश, किशनगढ़ के यहां अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 03.01.2014 को खारिज करते हुये निर्णय दिनांक 15.12.2012 की पुष्टि की गई। इस निर्णय के विरूद्ध घेवर चन्द बड़ौला द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर के यहां अपील प्रस्तुत की गई है, जो लम्बित है। उक्त फौजदारी प्रकरण में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (8) के तहत प्रतिवादी सं. 2 सायरमल सिंघावत के विरुद्ध दिनांक 23.03.2013 को तितम्बा चालान पेश किया गया, जिसके आधार पर दिनांक 08.04.2013 को प्रतिवादी सं. 2 पर आरोप विरचित कर सुनाये गये। इसी दौरान सायरमल द्वारा जमानत हेतु लगाये गये प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के यहां जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर द्वारा यह आदेश दिया गया कि अभियुक्त सायरमल द्वारा वादी बैंक के यहां दस लाख रुपये नकद जमा कराये जाने की शर्त पर आदेशित राशि के जमानत मुचलके पेश करने पर उसे रिहा कर दिया जावें। इस आदेश के तहत सायरमल द्वारा वादी बैंक में दस

लाख रुपये जमा करवा दिये गये एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नम्बर 01, किशनगढ़ द्वारा सायरमल को जमानत पर रिहा कर दिया गया। दिनांक 21.04.2014 को यह फौजदारी प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत था एवं गवाह ऐसोराम शर्मा एवं सत्यपाल गवाही हेतु आये हुये थे, किन्तु सायरमल दिनांक 21.04.2014 को जानबुझकर रूहपोश हो गया, जिसके कारण उसके जमानत मुचलके जब्त कर दिये गये एवं सायरमल आज दिन तक फौजदारी मुकदमें में फरार चलने के कारण उस प्रकरण में कोई प्रगति नहीं हो रही है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 17.12.2011 को उक्त वर्णितानुसार बैंक अभिलेखों की तुलना में भौतिक रूप से कम पाई गई नकद राशि 64,48,300 /– रुपए के सम्बन्ध में प्रस्तुत स्वीकारोक्तियों के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा संयुक्त रूप से उक्त राशि का गबन कर बैंक धन को व्यक्तिगत उपयोग में लिया गया है एवं स्वीकारोक्तियों में अंकितानुसार उक्त राशियों बैंक को वापस अदा नहीं की गई है। इसलिए दोनों ही प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से एवं पृथक–पृथक रूप से उक्त राशि वादी बैंक को अदा करने हेतु जिम्मेदार हैं एवं वादी बैंक प्रतिवादीगण से उक्त राशि संयुक्त रूप से एवं पृथक–पृथक रूप से वसूल करने के अधिकारिणी है। वादी बैंक प्रतिवादीगण से उक्त राशि पर दिनांक 17.12.2011 से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से मासिक अन्तराल के आधार पर ब्याज वसूल पाने की अधिकारिणी है एवं प्रतिवादीगण ब्याज की राशि संयुक्त रूप से एवं पृथक–पृथक रूप से वादी बैंक को अदा करने हेतु जिम्मेदार है, जो कि दिनांक 17.12.2011 से वाद प्रस्तुति की दिनांक तक रुपए 5,88,029/– बनते हैं यह राशि वादी बैंक प्रतिवादीगण से संयुक्त रूप से पृथक–पृथक रूप से वसूल पाने की अधिकारिणी है। वादी बैंक प्रतिवादीगण से असल रुपये 64,48,300/– एवं ब्याज की राशि रुपए 5,88,029/– कुल राशि रुपए 70,36,329/– संयुक्त रूप से एवं पृथक–पृथक रूप से वसूल करने के अधिकारिणी है एवं प्रतिवादीगण यह राशि वादी बैंक को संयुक्त रूप से एवं पृथक–पृथक रूप से अदा करने हेतु जिम्मेदार है। ग्राम टांटोटी, तहसील सरवाड़, जिला–अजमेर के राजस्व अभिलेख की जमाबन्दी संवत् 2065 से 68 में प्रतिवादी नं. 1

के हक में स्थित कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(1) कि खाता संख्या 908 नया, खाता संख्या 810 पुराना के तहत सोभागमल महाजन, तेजू, महावीर, सोहन, नन्दलाल, भागीरथ, रंगलाल, रामा, चेकू बेवा सूरजमल, रामदेव, हेमराज, छीतर, छगना, मदन जाति माली के संयुक्त उपयोग उपभोग का कुंआ जो 11 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि में स्थित है, जिसके खसरा नं. 2278 है। सोभागमल जी का देहान्त हो चुका है, जिनके प्रतिवादी नं. 1 सहित कुल 6 विधिक वारिसान है। इस प्रकार खसरा संख्या 2278 के कुंए में प्रतिवादी नं. 1 का पैतृक हिस्सा 1/84 है।

(2) खाता संख्या नया 907 पुराना 809 के तहत सोभागमल पुत्र अमरचन्द कौम महाजन के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1615 के तहत 8 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 1621 के तहत 7 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 3571/3116 की 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी कुल 15 बीघा 19 बिस्वा 10 बिस्वांसी कृषि भूमि स्थित है।

सौभागमल पुत्र अमरचन्द का देहान्त हो चुका है एवं सौभागमल के प्रतिवादी नं. 1 सहित कुल छह विधिक वारिसान है। इसलिये प्रतिवादी नं. 1 के हिस्से में उक्त कुल भूमि में से 1/6 हिस्सा की भूमि 2 बीघा 13 बिस्वा एवं 5 बिस्वांसी बनती है।

(3) खाता संख्या नया 656 पुराना 565 के तहत सौभागमल पुत्र अमरचन्द एवं माणकचन्द पुत्र धनराज के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1575 के तहत 13 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। सौभागमल का देहान्त हो चुका है, जिसके प्रतिवादी नं. 1 सहित कुल 6 वारिसान है। इस प्रकार प्रतिवादी नं. 1 के हिस्से में 1/12 हिस्सा की कृषि भूमि 1 बीघा 2 बिस्वा 10 बिस्वांसी कृषि भूमि आती है।

(4) इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में कुल 3 बीघा 15 बिस्वा 15 बिस्वांसी एवं कुंए के उपयोग में 1/84 हिस्सा आता है।

प्रतिवादी नं. 2 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की एक आवासीय जायदाद ग्राम खेड़ा गोपालपुरा पटवार हल्का झाड़ोल तहसील किशनगढ़ में स्थित है। उक्त मकान पूर्व से पश्चिम 34 फुट एवं उत्तर से दक्षिण 40 फुट कुल 151.11 वर्गगज क्षेत्रफल में निर्मित है। इस मकान में प्रतिवादी नं. 1 के अलावा अन्य किसी का हक हिस्सा नहीं है।

ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का झाडोल तहसील किशनगढ़ में राजस्व अभिलेख संवत 2061 की जमाबंदी के अनुसार नया खाता सं 15 पुराना खाता सं. ...... के तहत खसरा नं. 371/1 की 6 बीघा भूमि किस्म वारानी ए में प्रतिवादी नं. 2 का आधा हिस्सा यानी इसके हिस्से में 3 बीघा भूमि है, जो प्रतिवादी नं. 2 के कब्जे कास्त एवं खातेदारी की है एवं नया खाता सं. 151 पुराना खाता सं. 144 के तहत खसरा नं. 371/3 की 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादी नं. 2 के कब्जे कास्त एवं खातेदारी की है। इस प्रकार प्रतिवादी नं. 2 के राजस्व खाते में 7 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादी नं. 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों एवं आवासीय जायदाद को प्रतिवादी नं. 1 व 2 द्वारा इस वाद में वादी के पक्ष में जारी होने वाली डिक्री की संतुष्टि में बाधा डालने एवं डिक्री को निष्फल करने तथा वादी बैंक की राशि नहीं चुकाने की मंशा से कभी भी किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित की जा सकती है। इसलिए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों एवं आवासीय जायदाद में प्रतिवादीगण के हक व हिस्से तक की कृषि भूमि एवं आवासीय जायदाद को डिक्री पूर्व कुर्क किया जाकर प्रतिवादीगण द्वारा अन्य व्यक्तियों को उक्त जायदाद को हस्तांतरित करने पर रोक लगाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्यथा वादी बैंक को अपूर्तनीय क्षति होने की प्रबल संभावना रहेगी।

अतः वादपत्र स्वीकार करते हुए बहक वादी बैंक बखिलाफ प्रतिवादीगण संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण संयुक्त रूप एवं पृथक पृथक रूप से वादी बैंक को रुपये 70,36,329/– का भुगतान करें। प्रतिवादीगण संयुक्त रूप एवं पृथक पृथक रूप

से वादी बैंक को वाद की राशि पर वाद की दिनांक से चुकती अदायगी की दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक दर से मासिक अन्तराल के आधार पर ब्याज अदा करें। प्रतिवादीगण को संयुक्त रूप से एवं पृथक–पृथक रूप से वाद के पैरा सं. 17, 18 व 19 में वर्णित कृषि भूमियां एवं आवासीय जायदाद इस वाद की डिक्री की संतुष्टि तक किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी विधिक प्रक्रिया से अथवा किसी भी प्रक्रिया से हस्तांतरित नहीं करने हेतु एवं जायदाद का कब्जा अन्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रक्रिया के द्वारा सुपुर्द न करने हेतु स्थायी रूप से पाबंद करने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी बैंक बखिलाफ प्रतिवादीगण पारित किए जाने एवं वाद खर्च की राशि वादी बैंक को प्रदान किए जाने बाबत निवेदन किया।

3. प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा **जवाब दावा** इस आशय का पेश किया गया कि वाद प्रस्तुत कर्ता टी.आर. मीणा को वाद प्रस्तुत करने का किसी तरह का अधिकार नहीं है न ही कानूनी कार्यवाही करने का किसी तरह का कोई अधिकार है। प्रश्नगत वाद अनधिकृत व्यक्ति के द्वारा गलत व निराधार तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रतिवादी सं. 1, प्रबन्धक के पद पर कार्यरत रहा था, परन्तु जो अवधि वादी के द्वारा बताई गई है, उक्त समस्त अवधि में प्रबन्धक का कार्य प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि प्रतिवादी सं. 1, बैंक के आवश्यक कार्य से बाहर जाता रहा था। प्रतिवादी सं. 1 के सेवाकाल में वादी बैंक के समस्त दैनिक व्यवसाय एवं व्यवस्था के लिये सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रतिवादी सं. की नहीं रही थी न ही वादी बैंक में उपलब्ध समस्त अभिलेख सम्पत्ति एवं नकदी के लिये कस्टोडियन/ट्रस्टी के रूप में प्रतिवादी सं. 1 सेवारत एवं जिम्मेदार रहा है। बैंक शाखा के प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी के अलग अलग कार्य हैं, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 1 की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। प्रतिवादी सं. 2 वादी बैंक की शाखा किशनगढ़ में मुख्य खजांची के पद पर रहा था, परन्तु उक्त की अवधि कब से कब तक रही इसको वादी स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध करे। प्रतिवादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 1 के अधीन नहीं रहा है न ही प्रतिवादी सं. 1

के नियन्त्रण एवं निर्देशन में रहा है। वादी के द्वारा बताये गये उक्त कार्यों के लिये प्रतिवादी सं. 1 का किसी तरह का कोई सीधा नियन्त्रण नहीं था न ही प्रतिवादी सं. 1 का उक्त कार्यों के लिये किसी तरह का हस्तक्षेप था। वादी बैंक के द्वारा अलग अलग कार्यों के लिये अलग अलग पदाधिकारियों की नियुक्ति कर रखी है, जिसके तहत राशि के सन्दर्भ में प्रतिवादी सं. 1 का किसी तरह का कोई नियन्त्रण व निर्देशन नहीं था, बल्कि राशि निकालने व जमा करवाने के सन्दर्भ में नियुक्त अधिकारियों का ही सीधा नियन्त्रण, निर्देशन होता था तथा न ही जवाबकर्ता कस्टोडियन/ट्रस्टी होता है एवं पद पर नियुक्त व्यक्ति ही अपने कार्यों के लिये वही जिम्मेदार होता है। जवाबकर्ता खजांची के पद पर नियुक्त नहीं था। विधिक प्रावधान के तहत एक दूसरे के कार्यों के लिये एक दूसरे की किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। प्रतिवादी सं. 1 को उक्त तथ्यों की जानकारी नहीं है न ही उक्त के सन्दर्भ में वादी के द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को किसी तरह की कोई सूचना दी गई थी न ही ऐसे किसी पत्र से प्रतिवादी सं. 1 को वादी के द्वारा अवगत कराया गया था न ही सत्यपालसिंह, वरिष्ठ आन्तरिक निरीक्षक को आकस्मिक जांच हेतु बैंक के द्वारा अधिकृत किया गया था न ही इसकी जानकारी प्रतिवादी सं. 1 को दी गयी थी न ही प्रतिवादी सं. 1 को जानकारी है। वादी के द्वारा बताई गई किसी तरह की कोई राशि 64,48,300/– रुपये कम नहीं पाई गई थी न ही प्रतिवादी सं. 1 के समक्ष किसी तरह की कोई जांच की गई थी न ही वादी के द्वारा बताया गया तथाकथित निरीक्षक सत्यपालसिंह उक्त जांच के लिये अधिकृत था न ही सत्यपालसिंह को उक्त की जांच के लिये अधिकृत किया गया है न ही इस सन्दर्भ में प्रतिवादी सं. 1 को अवगत कराया गया था न ही बैंक में किसी तरह की कोई राशि कम है। उक्त से सत्यपालसिंह के द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को अवगत कराया गया था न ही प्रतिवादी सं. 1 के समक्ष वादी बैंक में स्थित राशि की किसी तरह की कोई गणना सत्यपालसिंह के द्वारा की गई थी न ही सुनील कुमार रावत के तत्वाधान में प्रतिवादी सं. 1 के समक्ष किसी तरह की कोई गणना राशि के बाबत की गई थी न ही प्रतिवादी सं. 1 के समक्ष 64,48,300/– रुपये की कमी की पुष्टि किसी भी

अधिकारी के द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के समक्ष की गई थी। वादी के द्वारा तथाकथित रूप से बताई गई जांच रिपोर्ट जो कि वाद का अभिन्न अंग बनाकर परिशिष्ट–1 बनाया गया है। उक्त की कॉपी जवाबकर्ता को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। जवाबकर्ता से किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं की गई थी न ही जवाबकर्ता के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक किसी तरह की कोई स्वीकृति दी गई थी न ही प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा कम पाई गई राशि को अपने द्वारा काम पर लिये जाना स्वीकार किया गया था न ही ऐसी कोई स्वीकारोक्ति प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा स्वेच्छापूर्वक वादी बैंक के अधिकारी के समक्ष की गई थी न ही स्वेच्छा पूर्वक प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा स्वीकारोक्ति के बाबत कोई दस्तावेज निष्पादित किया गया था न ही वादी के द्वारा बताया गया तथाकथित स्वीकारोक्ति का दस्तावेज पर्याप्त रूप से स्टाम्प पर निष्पादित है न ही ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य है। वादी के द्वारा बताया गया स्वीकारोक्ति बाबत दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होने के कारण उक्त स्वीकारोक्ति बाबत बताये गये किसी दस्तावेज का किसी तरह का कोई महत्व नहीं है। वादी बैंक के द्वारा गलत व निराधार तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष स्वेच्छा पूर्वक सूचना देकर वादी के द्वारा बताये गये धन को अपने द्वारा व्यक्तिगत उपयोग में लिया जाना स्वीकार नहीं किया गया है। वादी, प्रतिवादी सं. 1 से न तो किसी तरह की कोई राशि वसूल करने का अधिकारी है न ही वादी, प्रतिवादी सं. 1 से किसी तरह की राशि व ब्याज की राशि वसूल करने का अधिकारी है न ही प्रतिवादी सं. 1 किसी तरह की कोई राशि व ब्याज की राशि अदा करने हेतु जिम्मेदार है। वादी के द्वारा गलत व निराधार तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत वाद पेश किया गया है। स्व. श्री सौभागमल जी के प्रतिवादी सं. 1 सहित 6 वारिसान न होकर 8 विधिक वारिसान है। प्रतिवादी सं. 1 सेवारत होने के कारण उक्त सम्पत्ति में प्रतिवादी सं. 1 को किसी तरह का कोई हक, हिस्सा नहीं दिया गया था। इस कारण प्रतिवादी सं. 1 का उक्त भूमि में किसी तरह का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है न ही प्रतिवादी सं. 1 का किसी तरह का कोई कब्जा उक्त भूमि के किसी भी

भाग पर रहा है। साथ ही निवेदन है कि वादी के द्वारा उक्त पैरा में बताई गई उक्त भूमि पैतृक होने के कारण जन्म से ही पोते का उक्त भूमि में हक हिस्सा अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। प्रतिवादी सं. 1 के तीन पुत्र व पत्नी वारिसान है। इस कारण वादी का यह कहना कि उक्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/84 हिस्सा है, सरासर गलत व निराधार तथ्य है। वाद पत्र के पैरा सं. 17(2) के तथ्यों में खसरा सं. 1615, 1621, 3571/3116 सौभागमल की खातेदारी में होना एवं उक्त खसरों का उक्त रकबा होना स्वीकार है तथा सौभागमल जी का देहान्त होना स्वीकार है। शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। स्व. श्री सौभागमल के 6 विधिक वारिसान न होकर 8 विधिक वारिसान है। प्रतिवादी सं. 1 सेवारत होने के कारण सौभागमल के द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को उक्त भूमि में किसी तरह का कोई हक हिस्सा नहीं दिया गया था तथा उक्त भूमि से सौभागमल के द्वारा अपने जीवनकाल में ही वंचित कर दिया गया था। साथ ही निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 1 के पत्नी व तीन लड़के हैं एवं उक्त पैरा में बताई गई भूमि पैतृक भूमि है। प्रतिवादी सं. 1 के पुत्रों का जन्म सौभागमल की मृत्यु से पहले ही हो गया था। इस कारण दादा की भूमि में पोतों का अधिकार जन्म से ही प्राप्त हो गया था। ऐसी स्थिति में वादी का यह कहना कि प्रतिवादी सं. 1 का उक्त भूमि में 1/6 हिस्सा होने व उक्त हिस्से के तहत प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में 2 बीघा 13 बिस्वा एवं 5 बिस्वांसी आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वाद पत्र के पैरा सं. 17(3) के तथ्यों में खसरा संख्या 1575 की भूमि सौभागमल व माणकचन्द की संयुक्त खातेदारी में होना व उक्त रकबा होना स्वीकार है तथा सौभागमल की मृत्यु होना स्वीकार है। शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी सं. 1 सेवारत होने के कारण सौभागमल के द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को उक्त भूमि में किसी तरह का कोई हक हिस्सा नहीं दिया गया था तथा उक्त भूमि से सौभागमल के द्वारा अपने जीवनकाल में ही प्रतिवादी सं. 1 को वंचित कर दिया गया था। साथ ही निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 1 के पत्नी व तीन लड़के हैं एवं उक्त पैरा में बताई गई भूमि पैतृक भूमि है। प्रतिवादी सं. 1 के पुत्रों का जन्म सौभागमल की मृत्यु से पहले ही हो गया था। इस कारण दादा की भूमि में पोतों का अधिकार

"Authenticated Document"

जन्म से ही प्राप्त हो गया था। ऐसी स्थिति में वादी का यह कहना कि प्रतिवादी सं. 1 का उक्त भूमि में 1/12 हिस्सा होने व उक्त हिस्से के तहत प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में 2 बीघा 10 बिस्वांसी आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वाद पत्र के पैरा सं. 17(4) के तथ्य गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में वादी के द्वारा बताये अनुसार हिस्सा नहीं आता है न ही प्रतिवादी सं. 1 का उक्त भूमि में किसी तरह का कोई हक हिस्सा है। प्रतिवादी सं. 1 सेवारत होने के कारण प्रतिवादी सं. 1 को सौभागमल ने उक्त भूमि में किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं दिया गया था, बल्कि सौभागमल के द्वारा अपने जीवनकाल में ही प्रतिवादी सं. 1 को उक्त भूमि से वंचित कर दिया गया था। इस बाबत सौभागमल के द्वारा वसीयत भी निष्पादित की गई थी, जिसमें भी प्रतिवादी सं. 1 को उक्त भूमि से वंचित कर दिया गया था एवं प्रतिवादी सं. 1 से भी अपने जीवन काल में लिखवा लिया था कि उसके नाम की सम्पत्ति में प्रतिवादी सं. 1 का किसी तरह का कोई हक, हिस्सा, अधिकार प्राप्त नहीं होगा। वादी के द्वारा बताई गई उक्त सम्पत्ति सौभागमल के नाम की होने के कारण एवं प्रतिवादी सं. 1 के पुत्रों का जन्म सौभागमल के जीवनकाल में होने के कारण उक्त सम्पत्ति में उसके तीनों पुत्रों का हक हिस्सा अधिकार पुत्रों के जन्म से ही प्राप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 1 का वादी के द्वारा बताये अनुसार हिस्सा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रतिवादी सं. 1 का उक्त भूमि में किसी तरह का हक हिस्सा अधिकार नहीं है। वादी के द्वारा प्रश्नगत वाद में वर्णित तथ्यों के सन्दर्भ में प्रश्नगत वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा पेश कर दिया गया था एवं उक्त फौजदारी प्रकरण विचाराधीन है, इस कारण उन्हीं तथ्यों के सन्दर्भ में प्रस्तुत प्रश्नगत सिविल वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध विधिक रूप से पोषणीय नहीं है न ही वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत सिविल वाद चलने योग्य है। वादी के द्वारा प्रश्नगत वाद में प्रतिवादी सं. 1 की ओर से बताई गई तथाकथित स्वीकारोक्ति न तो प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक दी गई है न ही वादी के द्वारा बताई गई स्वीकारोक्ति पर्याप्त रूप से स्टाम्प पर निष्पादित है न ही विधिक रूप से निष्पादित है। इस

कारण वादी के द्वारा बताई गई स्वीकारोक्ति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अतः वादी के वाद पत्र को हर्जे खर्चे सहित खारिज किए जाने बाबत निवेदन किया।

4. प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा **जवाब दावा** इस आशय का पेश किया गया कि प्रतिवादी सं. 1 के सेवाकाल में वादी बैंक के समस्त दैनिक व्यवसाय एवं व्यवस्था के लिये सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रतिवादी सं. 1 की रही है और इस रूप में प्रतिवादी सं. 1 बैंक में उपलब्ध समस्त अभिलेख सम्पत्ति एवं नकदी के लिये ट्रस्टी के रूप में सेवारत एवं जिम्मेदार रहा है तथा प्रतिवादी सं. 2 की किसी प्रकार से ट्रस्टी के रूप में जिम्मेदार नहीं है। प्रतिवादी सं. 2 वादी बैंक की किशनगढ़ शाखा में दिनांक 14.8.2008 से दिनांक 17.12.2011 तक मुख्य खजांची के पद पर रहते हुये वादी बैंक के नकदी सम्बन्धी समस्त दैनिक व्यवसाय एवं व्यवस्था के लिये वरिष्ठ प्रबन्धक प्रतिवादी सं. 1 के अधीनस्थ रहकर उनके नियन्त्रण एवं निर्देशन में कार्य किया था, जिसके लिये समस्त जिम्मेदारी प्रतिवादी सं. 1 की है। वादी बैंक में समस्त नकदी की राशि बैंक के स्ट्रॉग रूम में रखी जाती है और जिसमें से राशि निकालने एवं रखने का कार्य प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा किया गया था। प्रतिवादी सं. 2 की तरफ से प्रबन्धक को हिसाब दे दिया जाता था। स्ट्रॉग रूम में से राशि निकालना एवं उसमें राशि रखने का कार्य प्रतिवादी सं. 1 प्रबन्धक के निर्देशन में किया जाता है उसका विवरण नियमानुसार प्रतिवादी सं. 1 को प्रतिवादी सं. 2 द्वारा दे दिया गया था। स्ट्रॉग रूम का ऑपरेशन अकेले प्रतिवादी सं. 2 द्वारा कभी भी नहीं किया गया है। प्रतिवादी सं. 1 की उपस्थिति में अथवा उसके निर्देशन पर ही किया जा सकता है। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा कभी भी स्वयं के द्वारा स्ट्रॉग रूम नहीं खोला गया। दिनांक 17.12.2011 को वादी बैंक के मण्डल प्रमुख द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना मदनगंज पर दर्ज करवायी हो तथा धारा 409 आई.पी.सी के तहत अनुसंधान किया गया हो तथा प्रतिवादी सं. 1 कहां पर रहा, उक्त कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है तथा प्रतिवादी सं. 1 शाखा प्रबन्धक होने के कारण वाद में वर्णित सम्पूर्ण राशि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा बैंक की शाखा

प्रबन्धक की शक्तियों का दुरुपयोग कर स्वयं के निजी उपयोग में लेकर प्रतिवादी सं. 2 पर अनुचित दबाव बनाकर तथा धोखे में लेकर बैंक में नकदी की जांच के दौरान 10,00,000/– रुपये की गलत रूप से स्वीकारोक्ति लिखवायी गई, जो कि गलत है तथा उक्त राशि का प्रतिवादी सं. 2 द्वारा स्वयं के उपयोग में नहीं लिया गया है तथा दिनांक 26.04.2012 को प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध आरोप पत्र पी.एस. मदनगंज द्वारा पेश किया गया, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 को दोषसिद्ध किया जा चुका है। इससे स्वतः ही सिद्ध है कि वाद में वर्णित बैंक की राशि अदा करने हेतु प्रतिवादी सं. 1 ही जिम्मेदार है तथा प्रतिवादी सं. 2 को न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दोषी सिद्ध नहीं किया गया है। इसलिये प्रतिवादी सं. 2 कोई भी राशि अदा करने हेतु जिम्मेदार नहीं है। ग्राम खेडा गोपालपुरा, पटवार हल्का झाडोल तहसील किशनगढ़ में वाद पत्र में वर्णित अडोस–पडोस का मकान प्रतिवादी सं. 2 के परिवार वालों का है, इसलिये पैरा सं. 18 के कथन गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम गोपालपुरा, पटवार हल्का झाड़ोल तहसील किशनगढ़ में खसरा सं. 371/1, 371/3 की भूमि विरासत की भूमि है, जिसमें प्रतिवादी सं. 2 के परिवार वालों का सामूहिक रूप से कब्जा काश्त है, इसलिए पैरा सं. 19 के कथन गलत होने से अस्वीकार है। अतः वादी के वादपत्र को विरूद्ध प्रतिवादी सं. 2 के हर्जे खर्चे सहित खारिज किए जाने बाबत निवेदन किया।

5. प्रतिवादी सं. 1 की दौराने विचारण मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान को दिनांक 19.02.2024 को रिकॉर्ड पर लिया गया। प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान प्रतिवादी सं. 1/1 लगायत 1/3 के द्वारा **संशोधित जवाब दावा** इस आशय का पेश किया गया कि वाद प्रस्तुत कर्ता टी.आर. मीणा को वाद प्रस्तुत करने का किसी तरह का अधिकार नहीं है न ही कानूनी कार्यवाही करने का किसी तरह का कोई अधिकार है। प्रश्नगत वाद अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा गलत व निराधार तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रतिवादी सं. 1, प्रबंधक के पद पर कार्यरत रहा था, परंतु जो अवधि वादी के द्वारा बतायी गई है, उक्त समस्त अवधि में प्रबंधक का

कार्य प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा नहीं गया था, बल्कि प्रतिवादी सं. 1 बैंक के आवश्यक कार्य से बाहर जाता रहा था। वादी के द्वारा बताई गई किसी तरह की कोई राशि 64,48,300/– रुपये कम नहीं पाई गई थी न ही प्रतिवादी सं. 1 के समक्ष किसी तरह की कोई जांच की गई थी न ही वादी के द्वारा बताया गया तथाकथित निरीक्षण सत्यपाल सिंह उक्त जांच के लिए अधिकृत था न ही सत्यपाल सिंह को उक्त की जांच के लिए अधिकृत किया गया है न ही प्रतिवादी सं. 1 को अवगत कराया गया था न ही बैंक में किसी तरह की कोई राशि कम है। उक्त से सत्यपालसिंह के द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को अवगत कराया गया था न ही प्रतिवादी सं. 1 के समक्ष वादी बैंक में स्थित राशि की किसी तरह की कोई गणना सत्यपालसिंह के द्वारा की गई थी न ही सुनील कुमार रावत के तत्वाधान में प्रतिवादी सं. 1 के समक्ष किसी तरह की कोई गणना राशि के बाबत की गई थी न ही प्रतिवादी सं. 1 के समक्ष 64,48,300/–रुपये की कमी की पुष्टि किसी भी अधिकारी के द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के समक्ष की गई थी। जवाबकर्ता से किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं की गई थी न ही जवाबकर्ता के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक किसी तरह की कोई स्वीकृति दी गई थी न ही प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा कम पाई गई राशि को अपने द्वारा काम पर लिए जाना स्वीकार किया गया था ना ही ऐसी कोई स्वीकारोक्ति प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक वादी बैंक के अधिकारी के समक्ष की गई थी। वादी बैंक के द्वारा गलत व निराधार तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। स्व. श्री सोभागमल जी के प्रतिवादी सं. 1 सहित 6 वारिसान न होकर 8 विधिक वारिसान है। प्रतिवादी सं. 1 सेवारत होने के कारण उक्त सम्पत्ति में प्रतिवादी सं. 1 को किसी तरह का कोई हक, हिस्सा नहीं दिया गया था। इस कारण प्रतिवादी सं. 1 का उक्त भूमि में किसी तरह का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है न ही प्रतिवादी सं. 1 का किसी तरह का कोई कब्जा उक्त भूमि के किसी भी भाग पर रहा है। साथ ही निवेदन है कि वादी के द्वारा उक्त पैरा में बताई गई उक्त भूमि पैतृक होने के कारण जन्म से ही पोते का उक्त भूमि में हक हिस्सा अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।

प्रतिवादी सं. 1 के तीन पुत्र व पत्नी वारिसान है। इस कारण वादी का यह कहना कि उक्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/84 हिस्सा है, सरासर गलत व निराधार तथ्य है। वाद पत्र के तथ्यों में खसरा संख्या 1615, 1621, 3571/3116 सौभागमल की खातेदारी में होना एवं उक्त खसरों का उक्त रकबा होना स्वीकार है तथा सौभागमल जी का देहान्त होना स्वीकार है। शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। स्व. श्री सौभागमल के 6 विधिक वारिसान न होकर 8 विधिक वारिसान है। प्रतिवादी सं. 1 सेवारत होने के कारण सौभागमल के द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को उक्त भूमि में किसी तरह का कोई हक हिस्सा नहीं दिया गया था तथा उक्त भूमि से सौभागमल के द्वारा अपने जीवनकाल में ही वंचित कर दिया गया था। प्रतिवादी सं. 1 के पुत्रों का जन्म सौभागमल की मृत्यु से पहले ही हो गया था, इस कारण दादा की भूमि में पोतों का अधिकार जन्म से ही प्राप्त हो गया था। ऐसी स्थिति में वादी का यह कहना कि प्रतिवादी सं. 1 का उक्त भूमि में 1/6 हिस्सा होने व उक्त हिस्से के तहत प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में 2 बीघा 13 बिस्वा एवं 5 बिस्वांसी आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। खसरा संख्या 1575 की भूमि सौभागमल व माणकचन्द की संयुक्त खातेदारी में होना व उक्त रकबा होना स्वीकार है तथा सौभागमल की मृत्यु होना स्वीकार है। शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी सं. 1 सेवारत होने के कारण सौभागमल के द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को उक्त भूमि में किसी तरह का कोई हक हिस्सा नहीं दिया गया था तथा उक्त भूमि से सौभागमल के द्वारा अपने जीवनकाल में ही प्रतिवादी सं. 1 को वंचित कर दिया गया था। प्रतिवादी सं. 1 के पत्नी व तीन लड़के है एवं उक्त बताई गई भूमि पैतृक भूमि है। प्रतिवादी सं. 1 के पुत्रों का जन्म सौभागमल की मृत्यु से पहले ही हो गया था, इस कारण दादा की भूमि में पोतों का अधिकार जन्म से ही प्राप्त हो गया था। ऐसी स्थिति में वादी का यह कहना कि प्रतिवादी सं. 1 का उक्त भूमि में 1/12 हिस्सा होने व उक्त हिस्से के तहत प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में 2 बीघा 10 बिस्वांसी आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादी के द्वारा प्रश्नगत वाद में वर्णित तथ्यों के सन्दर्भ में प्रश्नगत वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही प्रतिवादीगण के विरुद्ध

फौजदारी मुकदमा पेश कर दिया गया था एवं उक्त फौजदारी प्रकरण विचाराधीन है। इस कारण उन्हीं तथ्यों के सन्दर्भ में प्रस्तुत प्रश्नगत सिविल वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध विधिक रूप से पोषणीय नहीं है न ही वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत सिविल वाद चलने योग्य है। अतः वादी के वाद को हर्जे खर्चे सहित खारिज किए जाने बाबत निवेदन किया।

6. प्रतिवादी सं. 1/4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से प्रतिवादी सं. 1/4 की ओर से जवाब दावा पेश नहीं किया गया।

7. दौराने विचारण प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु होने व वारिसान द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा का **जवाबुलजवाब** वादी द्वारा **दिनांक 15.10.2024** को पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी के विशेष कथन के पैरा सं. 4(क) एवं अनुतोष के अंतिम अनुच्छेद में किए गए संशोधन के संबंध में निम्न जवाबुलजवाब प्रस्तुत है कि विशेष कथन के पैरा सं. 4 (क) में अंकित किये गये कथन स्वीकार है **(अ)** कि प्रतिवादी घेवर चन्द के विरूद्ध उसके द्वारा बैंक धन का गबन किया गया था, जिसके लिए उसके विरूद्ध पुलिस थाना मदनगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी थी एवं पुलिस थाना द्वारा गबन के प्रकरण को साबित मानते हुये घेवरचन्द बडौला एवं सायरमल सिंघावत के विरूद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नम्बर 1 के यहां सकारात्मक अंतिम रिपोर्ट पेश की गयी थी, जिसके विचारण के बाद न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2012 को निर्णय सुनाते हुये घेवरचन्द बडौला को तीन वर्ष के साधारण कारावास एवं 20,000/– रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया था। इस निर्णय के विरूद्ध माननीय अपर सैशन न्यायाधीश के न्यायालय में घेवरचन्द बड़ौला द्वारा अपील पेश की गयी थी। इस अपील को दिनांक 15.12.2012 को खारिज करते हुये अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं. 1 के निर्णय की पुष्टि की गई। इस निर्णय के विरूद्ध घेवरचंद द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर के यहां अपील पेश की गयी। **(ब)** कि घेवरचंद बडौला द्वारा दिनांक 17.12.2011 को मण्डल प्रमुख मण्डल कार्यालय जोधपुर

कैम्प किशनगढ़ के समक्ष एक पत्र लिखकर यह स्वीकार किया गया था कि नगदी राशि 34,98,200/– रुपये एवं एटीएम की राशि 19,50,100/– रुपये का उपयोग मेरे द्वारा किया गया है एवं एक सप्ताह में यह राशि वापस जमा कराने का वचन दिया था एवं यह निवेदन किया गया था कि मेरे खिलाफ पुलिस कार्यवाही न करे। इस पत्र पर बतौर गवाह सत्यपाल सिंह चौधरी एवं मनोज कुमार महाजन के हस्ताक्षर है। इस पत्र के देते समय घेवरचन्द बडौला ने यह अवगत करवाया था कि मैंने मेरे पुत्र संदीप कुमार एवं प्रदीप कुमार को श्री हार्डवेयर के नाम से बस स्टेण्ड विलीवाक्रम, चेन्नई में हार्डवेयर का व्यवसाय करवाया है, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत होने से मैंने पैसा ले लिया। मेरे तीसरे बेटे कुलदीप को चार्टर्ड अकाउन्टेट की पढ़ाई करने हेतु मुम्बई भेजा था, उसके लिए भी मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने रुपये लिये थे। उस समय मौके पर सुनील कुमार रावत एवं गंगासहाय गुप्ता भी मौके पर मौजूद थे। उसने यह भी स्वीकार किया था कि मैं यह राशि शीघ्र ही वापस जमा करवाने वाला था, किन्तु मेरा भाग्य खराब था, जो अचानक यह जांच हो गयी। **(स)** घेवरचंद बडौला सात्विक प्रवृति का व्यक्ति था, जिसे कभी भी शराब, जुआं, सट्टा एवं रंडीबाजी का कोई शौक नहीं था। इसलिए उसके द्वारा बैंक के खजाने में से अनधिकृत रूप से प्राप्त राशि का स्वयं के लिए उपयोग करने की कल्पना नहीं की जा सकती है, बल्कि इस बात को बल मिलता है कि घेवरचन्द बड़ौला द्वारा उक्त पैरा सं. (ब) में वर्णित कारणों से ही उक्त राशि का अनधिकृत रूप से खजाने से प्राप्त की गयी है। इस रूप में घेवरचन्द बडौला ने बैंक के खजाने से प्राप्त की गयी राशि का उपयोग अपने पुत्रों को व्यवसाय करवाने हेतु एवं शिक्षा दिलवाने हेतु किया गया है। चूंकि घेवरचन्द बडौला का देहान्त हो चुका है, इसलिए उक्त राशि चुकाने हेतु घेवरचन्द बड़ौला के नाम पर गबन की राशि को बैंक को चुकाने हेतु घेवरचन्द बडौला के जायन्द पुत्र संदीप कुमार, प्रदीप कुमार एवं कुलदीप बडौला एवं इन तीनों पुत्रों की माता श्रीमती मंजु बडौला विधिक रूप से जिम्मेदार हैं एवं वादी बैंक घेवरचन्द बड़ौला के द्वारा गबन की गयी राशि उसके उक्त तीनों पुत्रों एवं पत्नी से वसूल करने हेतु विधिक रूप से अधिकारी है। यह विधि का

सुस्थापित सिद्वान्त है कि पिता के द्वारा बकाया छोड़े गये कर्जे की राशि का चुकाने हेतु उसकी पत्नी व पुत्रगण ही जिम्मेदार है। **(द)** कि घेवरचन्द बड़ौला के साथ ही सह–अपराधी सायरमल सिंघावत द्वारा भी दिनांक 17.12.2011 को मण्डल प्रमुख, मण्डल कार्यालय जोधपुर कैम्प किशनगढ़ के समक्ष एक पत्र लिखकर यह स्वीकार किया गया था केश मीमो के हिसाब से 45,00,000/–रुपये कम पाये गये हैं, जिसमें 35,00,000/– रुपये दिनांक 13.12.2011 को घेवरचन्द बडौला को दिये गये एवं 10,00,000/– रुपये दिनांक 16.12.2011 को मैंने लिये। सायरमल ने अपने आवेदन में यह भी लिखा है कि एटीएम में करीब 19,50,000/– रुपयों की कमी पायी गयी है, उसका मुझे कोई पता नहीं है क्योंकि उसका सारा हिसाब घेवरचन्द बडौला, वरिष्ठ प्रबन्धक ही रखते थे। प्रतिवादीगण द्वारा संशोधित जवाब में अंकित किये गये तथ्यों के आधार पर वादी का वाद कतई प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होता है। प्रतिवादीगण द्वारा जो संशोधित जवाब दावा पेश किया गया है, उसका सत्यापन एकदम गलत व झूठा है। प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 6 नियम 15 सी.पी.सी. के प्रावधानों की पालना में सत्यापन नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण को इस तरह से तथ्यों का सत्यापन करने का कोई अधिकार नहीं है। अनधिकृत रूप से किये गये सत्यापन के आधार पर संशोधित जवाबदावा प्रतिवादीगण की तरफ से कतई पढ़ने योग्य नहीं है। उक्त कारणों से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधित जवाब दावा के आधार पर प्रतिवादीगण किसी भी तरह की साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं है। अतः वादी द्वारा मूल वाद के चाहे गये अनुतोष के अनुसार वाद वर्णित राशि 70,36,329/– रुपये एवं देय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु बहक वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया।

8. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक कायम किए गए:–

1. आया वादी बैंक प्रतिवादीगण से संयुक्त रूप से स्वयं

70,36,329/–वसूल पाने की अधिकारिणी है एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से एवं पृथक पृथक रूप से यह राशि वादी बैंक को अदा करने हेतु जिम्मेदार है?

––वादी

2. आया वादी बैंक प्रतिवादीगण से वादग्रस्त राशि का वाद की दिनांक से वाद की रकम की चुकती अदायगी तक घटते शेष 12 प्रतिशत वार्षिक दर से दैनिक शेष के आधार पर ब्याज वसूल करने की अधिकारिणी है?

––वादी

3. आया वादी बैंक वाद पत्र के पैरा सं. 17, 18, 19 में वर्णित अचल सम्पत्तियों के चुकती रकम की अदायगी तक हस्तान्तरण नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाना उचित होंगे?

––वादी

4. अनुतोष?

अतिरिक्त विवाद्यक

5. आया वादी बैंक प्रतिवादी संख्या 1 मृतक घेवरचंद के वारिसान से वाद वर्णित राशि 70,36,329/– रुपये मय ब्याज वसूल करने का अधिकारी नहीं होने से वाद वादी खारिज योग्य है?

––प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान

9. दौराने साक्ष्य वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में साक्षी पी.डब्ल्यू 01 टुण्डाराम मीणा एवं पी.डब्ल्यू 02 सुनील कुमार रावत, पी.डब्ल्यू 03 वरूण कौशिक, पी.डब्ल्यू 04 सत्यपाल एवं पी.डब्ल्यू 05 मनोज कुमार महाजन को परीक्षित कराया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 प्रदर्श 1 सरकार बनाम घेवरचन्द के निर्णय दिनांक 15.12.2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श 2 घेवरचन्द बनाम

सरकार की अपील में पारित निर्णय दिनांक 03.01.2014, प्रदर्श 3 सरकार बनाम सायरमल सिंघावत के प्रकरण में दिनांक 23.03.2013, 02.04.2013, 08.04.2013 की आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श 4 प्रथम सूचना रिपोर्ट नं. 647 दिनांक 17.12.2011 की अन्तिम रिपोर्ट, प्रदर्श 5 सायरमल सिंघावत पर लगाये गये चार्ज की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श 6 पुलिस थाना मदनगंज पर एआर शर्मा मंडल प्रमुख द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श 7 सायरमल सिंघावत मुख्य खजांची के रूप में हस्तान्तरित होकर किशनगढ़ शाखा में आने की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श 8 सत्यपाल द्वारा डिप्टी जनरल मैनेजर सर्किल हैड जोधपुर को सरप्राइज चैकिंग की भेजी गयी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श 9 सत्यपाल सिंह वरिष्ठ निरीक्षक ऑडिट को वादी बैंक किशनगढ़ में नकदी की जांच औचक निरीक्षण करने के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श 10 सत्यपाल द्वारा दिनांक 17.11.2011 को वादी बैंक के यहां नकदी की औचक जांच करने की रिपोर्ट, प्रदर्श 11 दिनांक 16.12.2011 का कैशमीमो, प्रदर्श 12 सायरमल सिंघावत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्रदर्श 13 घेवरचंद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्रदर्श 14, 15, 16 ग्राम व पटवार हल्का टांटोटी तहसील सरवाड द्वारा खाता संख्या 907, 656, 908 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 17 वादी बैंक के अधिकारी द्वारा जारी सामान्य मुख्तयारनामा को प्रदर्शित करवाया गया है।

10. प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में साक्षी डी.डब्ल्यू. 1/1 अंकुर जैन उर्फ संदीप को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया।

11. बहस उभय सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस लिखित बहस पेश करते हुए वादपत्र एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादपत्र स्वीकार करते हुए वादपत्र में वर्णितानुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत अधिवक्ता प्रतिवादी ने भी लिखित बहस पेश करते हुए

अपने जवाबदावे एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादी का वादपत्र खारिज किए जाने बाबत निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए गएः–

1. Civil Appeal No. 7768–7769 of 2023 (SC) Vinayak Purshottam Dube Vs. Jayashree Padamkar Bhat & Oth. dt. 01.03.2024
2. 1990 SCR (2)40 Manibhai Vs. Hemraj dt. 21.03.1990
3. Kamal Gupta Vs. Bank of India (D.B.) Delhi High Court 01 November 2007
4. Keerthika M Vs. Assistant Registrar of Co–Oprerative Karnataka High Court 21 August, 2024
5. Nagindas Madhav Lal Sandesara Vs Kodidas Mangaldas Bombay High Court 02 May, 1958
6. Punjab National Bank Vs. Akash Arora on 18 August, 2025
7. Section 37 and Section 40 of Contract Act 1872.

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए गएः–

1. Aparna Jalan Vs. Smt. Kanak Himatsingka & Ors. on 12 February, 2025 (In the High Court at Calcutta)
2. Supreme Court Civil Appellate (Arising out of SLP (C) No. 11757 of 2022) Annapurna B. Uppin & Ors. Vs.

Malsiddappa & Anr.

12. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

13. वादपत्र के प्रत्येक विवाद्यक/तनकीयात पर न्यायालय का विवेचन एवं निष्कर्ष निम्नानुसार हैः–

विवाद्यक सं. 1 व 5– न्यायालय द्वारा विवाद्यक सं. 1 व 5 निम्न रूप में विरचित किए गए हैंः–

विवाद्यक सं. 1– आया वादी बैंक प्रतिवादीगण से संयुक्त रूप से स्वयं 70,36,329/–वसूल पाने की अधिकारिणी है एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से एवं पृथक पृथक रूप से यह राशि वादी बैंक को अदा करने हेतु जिम्मेदार है?

विवाद्यक सं. 5– आया वादी बैंक प्रतिवादी संख्या 1 मृतक घेवरचंद के वारिसान से वाद वर्णित राशि 70,36,329/– रुपये मय ब्याज वसूल करने का अधिकारी नहीं होने से वाद वादी खारिज योग्य है?

14. उपरोक्त दोनों विवाद्यक आपस में अंतर्संबंधी होने से व उनकी विषयवस्तु एक होने एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के लिये उक्त दोनों विवाद्यकों का विनिश्चय एक साथ किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर है तथा विवाद्यक सं. 5 को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान पर है।

15. दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने कथन किया है कि वादी बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिसकी मदनगंज किशनगढ़ में स्थित शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक ने पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद बाडौला दिनांक 15.01.2009 से दिनांक 17.12.2011 तक उक्त बैंक शाखा में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत रहे तथा प्रतिवादी सं. 2 सायरमल दिनांक

14.08.2008 से दिनांक 17.12.2011 तक मुख्य खजांची के पद पर रहते हुए वादी बैंक के नकदी संबंधी समस्त दैनिक व्यवसाय व व्यवस्था के लिए वरिष्ठ प्रबंधक के साथ संयुक्त रूप से कार्य कर रहे थे। दोनों के द्वारा बैंक में समस्त नकद राशि स्ट्रॉग रूम में सुरक्षित रखने व निकालने का कार्य संयुक्त रूप से किया जाता था, जिसका विवरण एक विशिष्ट पंजिका में नोटों के विवरण सहित रखा जाता था, जो प्रतिवादी सं. 2 सायरमल द्वारा पोषित की जाती थी तथा रजिस्टर में प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा स्ट्रांग रूम के ऑपरेशन के वक्त हस्ताक्षर किए जाते थे। दोनों व्यक्तियों में से किसी एक अकेले व्यक्ति द्वारा उक्त कार्य नहीं किया जा सकता था। दोनों व्यक्तियों द्वारा अपनी अलग–अलग चाबियां लगाने पर ही स्ट्रांग रूम खोला जा सकता है। वादी बैंक के अंचल निरीक्षण कार्यालय जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 08.12.2011 के आदेश जारी कर वादी बैंक की शाखा की नकदी की आकस्मिक जांच करने का कार्य सत्यपाल सिंह द्वारा दिनांक 17.12.2011 को 11.00 एएम पर किया गया। जांच के उपरांत अभिलेखों में अंकित राशि की तुलना में 64,48,300/–रुपये कम पाए गए, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। सत्यपाल सिंह द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार कर मंडल प्रमुख को सुपुर्द की गई, जिसके अनुसार स्ट्रॉग रूम में 44,98,200/–रुपये एवं एटीएम में 19,50,100/–रुपये अभिलेखों में अंकित राशि की तुलना में कम पाए गए। उक्त राशि को संयुक्त रूप से एवं पृथक पृथक रूप से प्रतिवादीगण अदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 647/2011 दर्ज करवाई गई थी, जिसमें आरोप पत्र प्रस्तुत होने के उपरांत बाद विचारण प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद को दोषसिद्ध किया गया। प्रतिवादी सं. 2 सायरमल के मफरूर होने से व बाद में उपस्थित आने पर उसके विरुद्ध भी विचारण कार्यवाही की गई। घेवरचंद को दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपर जिला न्यायाधीश, किशनगढ़ में अपील की गई, जिसमें घेवरचंद की अपील को खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गई व सजा को बरकरार रखा गया। इस प्रकार फौजदारी मुकदमे में भी प्रतिवादिगण द्वारा बैंक की

राशि के गबन करने के आधार पर उसे दोषसिद्ध किया गया है। स्वयं प्रतिवादीगण ने लिखकर यह स्वीकारोक्ति भी की है कि उनके द्वारा उक्त राशि को व्यक्तिगत उपयोग में लिया गया है। उक्त राशि को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपनी संतानों के व्यापार व शिक्षा में उपयोग में लिया गया है। दौराने विचारण प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु होने से उसके विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया है। चूंकि प्रतिवादीगण का कृत्य साक्ष्य से साबित है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उक्त राशि का उपयोग अपनी संतानों के व्यवसाय व शिक्षा में उपयोग में लिया गया है। अतः उक्त राशि को प्रतिवादी सं. 1 की संतानों से वसूल किया जाए। दोनों पक्षकार संयुक्ततः व पृथकतः अदायगी के लिए दायित्वाधीन है। अतः उक्त राशि को प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान व प्रतिवादी सं. 2 से वसूलने का निवेदन किया है व उक्त राशि पर ब्याज दिलाए जाने का भी निवेदन किया है।

16. दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान 1/1 लगायत 1/3 ने कथन किया है कि टी.आर. मीणा को वाद प्रस्तुति का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 सेवाकाल में वादी बैंक के समस्त दैनिक व्यवसाय व्यवस्था के लिए संपूर्ण जिम्मेदार नहीं रहा ना ही उपलब्ध समस्त अभिलेख संपत्ति नकदी के लिए कस्टोडियन/ट्रस्टी के रूप में सेवारत व जिम्मेदार रहा बैंक शाखा के प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारियों के अलग–अलग कार्य होते हैं। प्रतिवादी सं. 2 वादी बैंक की शाखा मदनगंज किशनगंज में मुख्य खजांची के पद पर रहा था, परंतु वह अवधि कब की थी, यह तथ्य वादी को साबित करना है। प्रतिवादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 1 के नियंत्रण निर्देशन में नहीं रहा है। सत्यपाल सिंह वरिष्ठ आंतरिक निरीक्षक को आकस्मिक जांच हेतु बैंक द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है। वादी द्वारा बताई गई राशि 64,48,300/–रुपये कम नहीं पाई गई। परिशिष्ट–1 की नकल प्रतिवादी को नहीं दिलाई गई। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा कम पाई गई। राशि को स्वयं के काम में लिए जाने की स्वीकारोक्ति कभी नहीं की गई ना ही कोई दस्तावेज निष्पादित किया ना ही उक्त प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य है। कम पाई गई राशि

के लिए प्रतिवादी सं. 1 जिम्मेदार नहीं है। उसके विरुद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। दौराने विचारण प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु होने से उसके विधिक वारिसान द्वारा संशोधित जवाब प्रस्तुत किया गया तथा स्वयं को प्रतिवादी सं. 1 की कोई संपत्ति प्राप्त नहीं होने से दायित्वाधीन नहीं होना बताया है तथा अपने दादा सौभागमल के प्रतिवादी सं. 1 सहित 6 वारिसान नहीं होकर 8 वारिसान होना प्रतिवादी सं. 1 के सेवारत होने के कारण उक्त संपत्ति में प्रतिवादी सं. 1 को किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं दिया जाना ना ही कोई कब्जा होना संपत्ति पैतृक होने से प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान का जन्म से उसमें हक हिस्सा होना प्रतिवादी सं. 1 का 1/84 हिस्सा नहीं होना बताया। चूंकि प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान द्वारा कोई राशि उपयोग में नहीं ली गई। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा यदि कोई राशि प्राप्त भी की गई थी तो वह उसे अदा करने के लिए दायित्वाधीन नहीं है ना ही वादी को प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान से कथित गबन की राशि वसूल किए जाने का विधिक अधिकार है। वादी बैंक द्वारा उक्त राशि परिवार की आवश्यकता के लिए उधार नहीं दी गई है ना ही उक्त राशि वारिसान पर खर्च की गई है। प्रतिवादी सं. 1 से उसके वारिसान को कोई चल अचल संपत्ति विरास्तन प्राप्त नहीं हुई है। अतः विधिक वारिसान से उक्त राशि वसूल करने के अधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त वादी बैंक द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा पेश कर दिया था, जो विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में सिविल वाद पोषणीय नहीं है अतः प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान के विरुद्ध वसूली बाबत वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

17. दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 ने यह कथन किया है कि प्रतिवादी सं. 2 ने वादी बैंक की किशनगढ़ में शाखा 14.08.2008 से 17.12.2011 तक मुख्य खजांची के पद पर रहते हुए प्रतिवादी सं. 1 के अधीनस्थ रहकर उसके नियंत्रण निर्देशन में कार्य किया था। वादी बैंक में समस्त राशि स्ट्रॉग रूम में रखी जाती है जिसमें से राशि निकालने, रखने का कार्य प्रतिवादी सं. 1 द्वारा किया गया

था। प्रतिवादी सं. 2 की तरफ से प्रबंधक को हिसाब दे दिया जाता था। स्ट्रॉग रूम से नकदी निकालने रखने का विवरण एक विशिष्ट पंजिका में नोटों के विवरण सहित रखा जाता था, इस तथ्य को वादी को साबित करना है। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के साथ मिलकर कभी स्ट्रॉग रूम को नहीं खोला गया। सत्यपाल सिंह को आकस्मिक जांच सौंपी गई हो इसकी जानकारी नहीं है। सत्यपाल सिंह द्वारा अभिलेखों में अंकित राशि की तुलना में राशि कम पाई गई हो इसकी जानकारी भी नहीं है। पूछताछ करने पर प्रतिवादी सं. 1 ने 54,48,300/–रुपये स्वयं के द्वारा अपने निजी काम में लेने के बारे में सत्यपाल सिंह व बैंक अधिकारियों को साक्ष्य में अपनी हस्तलिपि में लिखकर बैंक मंडल प्रमुख को सुपुर्द की थी तथा उक्त राशि को वादी ने वादपत्र में अंकित नहीं करके भूल की है। एफआईआर दर्ज करवाते समय प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद ने उक्त राशि अपने पास होना स्वीकार किया है, जिसको वादपत्र में अंकित नहीं किया है, जबकि षड्यंत्र पूर्वक प्रतिवादी सं. 2 से जबरन 10 लाख रुपए की तहरीर अपने पास होना लिखवा लिया, जबकि यह राशि प्रतिवादी सं. 2 द्वारा बैंक से कभी लेकर अपने पास नहीं रखी गई। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा यह आश्वासन दिया की इस राशि के बारे में तुम लिख कर दे दो, वह पैसे शीघ्र जमा करवा देगा और उसके बाद राशि जमा नहीं करवाई। प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद को दोषसिद्ध किया गया है, इसलिए गबन की राशि अदा करने की जिम्मेदारी उसकी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रतिवादी सं. 2 के विरुद्ध भी दर्ज हुई है, परंतु प्रतिवादी सं. 2 द्वारा बैंक की राशि अपने उपयोग में नहीं ली गई। प्रतिवादी सं. 2 पर अनुचित दबाव बनाकर धोखे में लेकर बैंक में नकदी की जांच के दौरान 10 लाख रुपए की गलत रूप से स्वीकारोक्ति करवाई गई है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 2 वादी बैंक को कोई भी राशि अदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 ने एफआईआर सं. 647/2011 में जमानत आवेदन में हुए आदेश पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 10 लाख रुपए जमा करवाए थे, स्वयं के द्वारा गबन किए जाने के कारण जमा नहीं करवाए गए थे। प्रतिवादी सं. 2 को प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया

गया है। अतः प्रतिवादी सं. 2 से वादी बैंक राशि वसूल करने की अधिकारी नहीं है।

18. वादी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का उक्त विवाद्यको के संदर्भ में अवलोकन किया गया।

19. **जहां तक प्रतिवादी की वादी बैंक की ओर से टुण्डाराम मीणा को वाद प्रस्तुति करने के लिए अधिकृत नहीं करने के संदर्भ में आपत्ति है** तो इस संबंध में वादी के द्वारा दस्तावेज प्रदर्श 17 प्रदर्शित करवाया है, जो सामान्य मुख्तारनामा है। वादी बैंक के द्वारा गवाह पी.ड. 1 टुण्डाराम मीणा, जो हस्तगत प्रकरण में वादी बैंक की ओर से अधिकृत है, के द्वारा साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया है। उक्त दस्तावेज का गवाह की जिरह में खंडन नहीं हुआ है। अतः टुंडाराम मीणा वाद प्रस्तुति के समय तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक को वाद प्रस्तुति की अधिकारिता नहीं हो यह तथ्य साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है।

20. **जहां तक वादी बैंक ने प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद का वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर दिनांक 15.01.2009 से दिनांक 17.12.2011 तक पदस्थापित होने व प्रतिवादी सं. 2 सायरमल का दिनांक 14.08.2008 से दिनांक 17.12.2011 तक मुख्य खजांची के पद पर कार्यरत होने का प्रश्न है** तो इस संबंध में वादी गवाह पी.ड. 1 टुण्डाराम मीणा ने अपनी साक्ष्य में प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद व प्रतिवादी सं. 2 सायरमल का क्रमशः वरिष्ठ प्रबंधक व मुख्य खजांची के पद पर उक्त अवधि में कार्यरत होना बताया है। साक्ष्य शपथ पत्र में अंकित उक्त तथ्यों के संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से कोई जिरह नहीं की गई है। अतः उक्त तथ्यों का खंडन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी सं. 1 ने अपने जवाब के पैरा सं. 3 में स्वयं का प्रबंधक के पद पर कार्यरत होना स्वीकार किया है, परंतु समस्त अवधि में प्रबंधक का कार्य प्रतिवादी सं. 1 द्वारा नहीं किए जाने, आवश्यक कार्य से बाहर जाने पर वादी बैंक के समस्त दैनिक व्यवसाय एवं व्यवस्था के लिए संपूर्ण जिम्मेदारी प्रतिवादी सं. 1 की नहीं होने का कथन किया है। यह भी कथन किया है

कि वादी बैंक में उपलब्ध समस्त अभिलेख, संपत्ति एवं नकदी के लिए कस्टोडियन/ट्रस्टी के रूप में सेवारत जिम्मेदार नहीं रहा, प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी के कार्य अलग–अलग होते हैं एवं संपूर्ण जिम्मेदारी नहीं होने का कथन किया है, परंतु उक्त अवधि में प्रतिवादी सं. 1 कब–कब व कहां गया, जिस अवधि में उसके पास प्रबंधक का कार्यभार नहीं रहा, ऐसी कोई विशिष्ट दिनांक, स्थान नहीं बताया है ना ही इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश किया है। जांच दिनांक 17.12.2011 को या उसके पूर्ववर्ती दिवस पर वह बैंक में प्रबंधक के बतौर कार्यरत नहीं रहा हो, मौके की जांच कार्यवाही के दौरान मौजूद नहीं रहा हो, ऐसी कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है ना ही जवाबदावे में उक्त दिनांक 17.12.2011 को वह वादी बैंक में बतौर प्रबंधक कार्यरत नहीं था, ऐसा कोई अभिकथन किया है। जबकि वादी गवाह ने दस्तावेज प्रदर्श 11 साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया है, जिस पर घेवरचंद व सायरमल के क्रमशः मुख्य प्रबंधक व खजांची के बतौर हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त दस्तावेज, जांच दिनांक से एक दिन पूर्व दिनांक 16.12.2011 का है, जिसका किसी प्रकार खंडन नहीं हुआ है, जिससे भी उक्त दोनों का जांच दिनांक व उससे पूर्व अवधि तक उक्त पद पर कार्यरत होना प्रमाणित है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी सं. 2 ने अपने जवाब दावे में स्वयं का वादी बैंक के किशनगढ़ शाखा में दिनांक 14.08.2008 से दिनांक 17.12.2011 तक मुख्य खजांची के पद पर रहते हुए वादी बैंक के नकदी संबंधी समस्त दैनिक व्यवसाय व्यवस्था के लिए वरिष्ठ प्रबंधक प्रतिवादी सं. 1 के अधीनस्थ रहकर उनके नियंत्रण निर्देशन में कार्य किया जाना स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त वादी के द्वारा प्रतिवादी सं. 2 सायरमल के मुख्य खजांची के पद पर स्थानांतरित होकर आने के संबंध में दस्तावेज प्रदर्श 7 साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया है। उक्त दस्तावेज का भी किसी प्रकार से खंडन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी सं. 2 सायरमल ने वादी बैंक ने दिनांक 14.08.2008 से दिनांक 17.12.2011 तक मुख्य खजांची के पद पर कार्य करना स्वीकार किया है। अतः स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है फिर भी

दस्तावेज प्रदर्श 7 उक्त तथ्य की पुष्टि करता है। प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद के बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत होने की स्वीकारोक्ति प्रतिवादी सं. 1 ने भी अपने जवाब में की है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी गवाह डी.ड. 1 अंकुर जैन उर्फ संदीप ने अपनी साक्ष्य में वादी बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद वादी बैंक द्वारा वर्णित अवधि दिनांक में कार्यरत नहीं हो, इस बाबत कोई खंडन पेश नहीं किया है, बल्कि **डी.ड. 1 अंकुर जैन उर्फ संदीप**, जो की प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद का पुत्र है, ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसके पिताजी पंजाब नेशनल बैंक की किशनगढ़ शाखा में प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह कहना गलत है कि दिनांक 17.12.2011 को बैंक के स्ट्रॉग रूम की राशि की गणना शाम के समय हुई, यह बात उसे उसके पिताजी ने बताई हो। अजखुद कहा कि उसके पिताजी ने शाम को ही फोन किया और सारी बता बताई, इसलिए उसने अंदाजा लगाया। गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसके पिताजी मदनगंज किशनगढ़ शाखा में जहां तक उसे याद है वर्ष 2008–09 मे आये थे और कब तक प्रबंधक के पद पर रहे यह उसे आज याद नही है। दिनांक 17.12.2011 को बैंक की राशि का गबन करने की बात का खुलासा होने पर उन्हें उसी दिन उन्हें सेवा से टर्मिनेट कर दिया हो तो उसे इसकी जानकारी नही है।

21. इस प्रकार से प्रतिवादी गवाह ने भी अपनी साक्ष्य में घेवरचंद का वादी बैंक में प्रबंधक के पद पर कार्यरत होने के तथ्य से इनकार नहीं किया है, बल्कि कार्यरत होना बताया है। अतः वादी साक्ष्य व प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान की साक्ष्य, प्रतिवादी सं. 2 के जवाब दावा के स्वीकृत तथ्यों से भी वादी बैंक में प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद व प्रतिवादी सं. 2 सायरमल का क्रमशः वरिष्ठ प्रबंधक व खजांची के पद पर कार्यरत होने का तथ्य प्रमाणित है। वादी बैंक ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि की है कि उक्त अवधि में प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद व प्रतिवादी सं. 2 सायरमल क्रमशः वरिष्ठ प्रबंधक व खजांची के पद पर

कार्यरत थे, जिसका खंडन नहीं हुआ है।

22. **जहां तक वादी बैंक में दिनांक 17.12.2011 को सत्यपाल सिंह, निरीक्षक द्वारा 11.00 ए.एम. पर वादी बैंक की समस्त नकदी का आकस्मिक निरीक्षण एवं जांच किए जाने तथा जांच में अभिलेखों में अंकित राशि की तुलना में स्ट्रॉग रूम एवं एटीएम में उपलब्ध राशि 64,48,300/–रुपये कम पाए जाने का प्रश्न है** तो इस संबंध में वादी गवाह पी.ड. 1 टुण्डाराम मीणा ने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में यह कथन किया है कि वादी बैंक के अंचल निरीक्षण कार्यालय जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 08.12.2011 के एक आदेश द्वारा वादी बैंक की मदनगंज किशनगढ़ शाखा की नकदी की आकस्मिक जांच करने का कार्य सत्यपाल सिंह वरिष्ठ आंतरिक निरीक्षक को सौंपा गया। सत्यपाल सिंह द्वारा दिनांक 17.12.2011 को 11.00 ए.एम. पर वादी बैंक की समस्त नकदी का आकस्मिक निरीक्षण एवं जांच की, जिसके दौरान स्ट्रांग रूम एवं एटीएम पर उपलब्ध समस्त नकदी राशि अभिलेखों पर उपलब्ध राशि की तुलना में 64,48,300/–रुपये कम पाई गई। निरीक्षक सत्यपाल सिंह द्वारा इसकी सूचना दूरभाष पर उच्च अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलने पर दिनांक 17.12.2011 को ही मंडल कार्यालय जोधपुर के उप महाप्रबंधक, मंडल प्रमुख एवं वरिष्ठ प्रबंधक निरीक्षण मंडल कार्यालय जोधपुर वादी बैंक पहुंचे, जिनकी मौजूदगी में सत्यपाल सिंह द्वारा एवं वादी बैंक की औद्योगिक क्षेत्र मदनगंज किशनगढ़ स्थित शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक सुनील कुमार रावत के संयुक्त तत्वावधान में पुन जांच करवाई गई तो अभिलेखों पर अंकित राशि की तुलना में नकद राशि 64,48,300/–रुपये कम पाए जाने की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट मंडल प्रमुख को सुपुर्द की गई। स्ट्रॉग रूम में 44,98,200/–रुपये व एटीएम में 19,50,100/–रुपये की राशि कम पाई गई। राशि कम पाए जाने के बारे में पूछताछ करने पर दोनों प्रतिवादीगण ने सत्यपाल सिंह एवं बैंक अधिकारी की साक्षी में अपनी–अपनी हस्तलिपि में अलग–अलग स्वीकारोक्ति लिखकर बैंक के मंडल प्रमुख को सुपुर्द की एवं कम पाई गई राशि अपने द्वारा लिए जाना स्वीकार

किया है एवं बैंक को शीघ्र वापस अदा करने का वादा किया। स्वीकारोक्ति की प्रमाणित प्रति परिशिष्ट 2 व 3 के रूप में वाद के साथ संलग्न है। असल स्वीकारोक्ति प्रथम सूचना रिपोर्ट 647/2011 अंतर्गत धारा 409 भारतीय दंड संहिता के तहत अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द की गई थी। गवाह ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 8 सत्यपाल द्वारा डिप्टी जनरल मैनेजर सर्किल हैड जोधपुर को सरप्राइज चैकिंग की भेजी गयी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि है, जिसमें ए से बी भाग में बैंक प्रबंधक एस.के. रावत द्वारा पुनः गणना की रिपोर्ट है, को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया है तथा प्रदर्श 9 सत्यपाल सिंह वरिष्ठ निरीक्षक ऑडिट को वादी बैंक किशनगढ़ में नकदी की जांच/औचिक निरीक्षण के आदेश की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 10 सत्यपाल द्वारा दिनांक 17.12.2011 को वादी बैंक के यहां नकदी की औचक जांच करने की रिपोर्ट को प्रदर्शित करवाया है। प्रदर्श 11 दिनांक 16.12.2011 का कैशमीमो है, जिसमें शाम को शाखा में जो कैश बंद करते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी रहती है, जिस पर ए से बी तत्कालीन प्रबंधक घेवरचंद बड़ोला व सी से डी सायरमल मुख्य खजांची के हस्ताक्षर है। प्रदर्श 12 सायरमल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र है एवं प्रदर्श 13 घेवरचंद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र है, जो गबन की राशि की स्वीकारोक्ति है, को प्रदर्शित करवाया गया है। **जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श 8 लगायत 10 पर प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद के हस्ताक्षर नही है। यह कहना सही है कि प्रदर्श 13 में भी कथित गबन की राशि का अपने उपयोग में लिये जाने बाबत तथ्य अंकित हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्श 13 पर प्रतिवादी सं. 1 के हस्ताक्षर करने से पूर्व प्रतिवादी सं. 1 पर गबन का आरोप लगवाया जा चुका था। यह कहना गलत है कि प्रदर्श 13 पर प्रतिवादी सं. 1 के हस्ताक्षर करते समय प्रतिवादी सं. 1 दबाव में हो। यह कहना सही है कि प्रदर्श 13 पर प्रतिवादी सं. 1 के हस्ताक्षर करते समय बैंक के उच्च अधिकारी मौजूद थे। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह कहना सही है कि दिनांक 17.12.2011 को बैंक अभिलेख में बैंक में कुल कितनी राशि थी, इसका हवाला वादपत्र में नही है। अजखुद कहा कि शॉर्टेज/गबन राशि का हवाला है। यह कहना सही है कि दिनांक 17.12.2011 को

बैंक अभिलेख में बैंक में कुल कितनी राशि थी, इसका हवाला उसके द्वारा पेश साक्ष्य के शपथ पत्र में नही है। अजखुद कहा कि शॉर्टेज/गबन राशि का हवाला है। यह कहना सही है कि दिनांक 17.12.2011 को बैंक के स्ट्रॉग रूम में कुल कितनी राशि थी, इसका हवाला वादपत्र व साक्ष्य शपथ पत्र में नही है। अजखुद कहा कि शॉर्टेज/गबन राशि का हवाला हैं। आज वह यह नही बता सकता कि दिनांक 17.12.2011 को बैंक अभिलेख व बैंक के स्ट्रॉग रूम में कुल कितनी राशि थी। अजखुद कहा कि पीएनबी के कैशमीमो पीएनबी–7 नंबर में दिनांक 17.12.2011 को रखी गई राशि का उल्लेख है, जो प्रदर्श 11 है। गवाह के द्वारा प्रदर्श 11 देखकर बताया कि कुल 61,18,111 रुपये 24 पैसे है। यह कहना सही है कि उसके द्वारा जो राशि प्रदर्श 11 को देखकर बताई गई है उक्त राशि का उसके द्वारा पेश वादपत्र में व साक्ष्य शपथ पत्र में उल्लेख नही है। यह कहना सही है कि प्रदर्श 11 पर उसके हस्ताक्षर नही है। अजखुद कहा कि उस पर तत्कालीन प्रबंधक घेवरचंद बडोला व प्रधान खजांची सायरमल सिंघावत के हस्ताक्षर हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्श 11 दिनांक 17.12.2011 का दस्तावेज नहीं है। अजखुद कहा कि 16.12.2011 को बैंक बंद होने के समय का शाम का बैलेंस है। यह कहना सही है कि प्रदर्श 11 में उसके द्वारा जो शाम के समय का बैलेंस होना बताया है, उक्त का हवाला नहीं है। अजखुद कहा कि पीएनबी–107 नंबर फार्म डैली बैलेंस/केश का रिकार्ड किया जाता है। यह कहना सही है कि प्रदर्श 11 में उसके द्वारा घेवरचंद व सायरमल का हस्ताक्षर करना बताया हैं, उक्त हस्ताक्षर उसके सामने घेवरचंद व सायरमल द्वारा नहीं किये गए। यह सही है कि प्रदर्श 12 में बैंक अभिलेख व स्ट्रोंग रूम में कुल कितनी राशि थी, उक्त का हवाला नहीं है। अजखुद कहा कि प्रदर्श 12 में गबन राशि का उल्लेख है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह सही है कि प्रदर्श 13 में बैंक अभिलेख व स्ट्रोंग रूम में कुल कितनी राशि थी, उसका हवाला नहीं है। अजखुद कहा कि प्रदर्श 13 में गबन राशि का उल्लेख है। गवाह ने प्रदर्श 10, 8 व 6 में भी बैंक अभिलेख व स्ट्रोंग रूम में कुल कितनी राशि थी, उसका हवाला नहीं होना बताया है। यह कहना सही हैं कि प्रदर्श 11 का वादपत्र में व साक्ष्य शपथ पत्र

में हवाला नहीं है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रतिवादी संख्या 2 सायरमल सिंघावत वादी बैंक के मुख्य खजांची के पद पर दिनांक 16.12.2011 व दिनांक 17.12.2011 को कार्यरत थे। यह कहना सही है कि मुख्य खजांची के पास ही कैश का काम होता हैं फिर कहा कि मुख्य खजांची व मुख्य प्रबंधक दोनों के पास होता है। यह कहना सही है कि प्रतिवादी संख्या 1 कस्टोडियन/ट्रस्टी हो, इस बाबत उसने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। **प्रतिवादी सं. 2** द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रतिवादी सं. 2 सायरमल सिंघावत द्वारा बैंक शाखा में 10 लाख रुपये जमा करवा दिये, लेकिन वह तारीख स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि दावा पेश करने के बाद सायरमल द्वारा दस लाख रुपये बैंक शाखा में जमा करवाये थे। यह कहना सही है कि दस लाख रूपये बैंक शाखा में जमा करवाने के बाद उन्होंने दावे में वसूली बाबत कोई संशोधन नहीं करवाया। यह कहना सही है कि प्रदर्श 12 उसके सामने निष्पादित नहीं किया गया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श 12 किसके द्वारा कहां बैठ कर लिखा गया इसकी उसे जानकारी नही हैं। यह कहना सही है कि उसने अपने दावे में जो प्रार्थना की हैं, उसमें दोनों प्रतिवादीगण के संयुक्त रूप से अनुतोष की मांग की है। यह कहना सही हैं कि उसके द्वारा चाही गई प्रार्थना में प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 दोनों के लिए अलग अलग राशि का विवरण नहीं है और यह बात उसके शपथ पत्र में भी अंकित नहीं हैं।

23. इस प्रकार से उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में सत्यपाल सिंह द्वारा दिनांक 17.12.2011 को वादी बैंक की आकस्मिक जांच किया जाना, जिसमें स्ट्रांग रूम व एटीएम में अभिलेखों में अंकित राशि की तुलना में 64,48,300/–रुपये कम पाए जाने का कथन किया है, जिसका उसकी जिरह में किसी प्रकार से खंडन नहीं हुआ है। उक्त गवाह ने सत्यपाल सिंह को उक्त जांच करने के लिए नियुक्ति का आदेश प्रदर्श 9 पेश किया है तथा सत्यपाल सिंह द्वारा बाद जांच उप महाप्रबंधक को प्रेषित की गई रिपोर्ट प्रदर्श 10 को भी पेश किया गया है, जिसका किसी प्रकार

से खंडन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त दिनांक 17.12.2011 को आकस्मिक निरीक्षण के दौरान जो राशि कम पाई गई उसके संबंध में रिपोर्ट प्रदर्श 8 को भी साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया है, जिसका भी किसी प्रकार से खंडन नहीं हुआ है। वादी गवाह पी.ड. 1 टुण्डाराम मीणा ने अपनी साक्ष्य में जांच में अभिलेख में अंकित राशि की तुलना में 64,48,300/–रुपये कम पाए जाने पर उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को देने पर मंडल कार्यालय, जोधपुर के उप महाप्रबंधक, मंडल प्रमुख एवं वरिष्ठ प्रबंधक निरीक्षण मंडल कार्यालय जोधपुर का वादी बैंक शाखा में पहुंचना, जहां पर मंडल प्रमुख की मौजूदगी में सत्यपाल सिंह एवं वादी बैंक के मदनगंज किशनगढ़ स्थित शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक सुनील कुमार रावत के तत्वावधान में पुन जांच करवाए जाने का कथन किया है। सुनील रावत को बतौर गवाह पी.ड. 2 परीक्षित करवाया गया है। उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में दिनांक 17.12.2011 को पंजाब नेशनल बैंक की औद्योगिक क्षेत्र स्थित शाखा में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर नियुक्त होना तथा दिनांक 17.12.2011 को वादी बैंक की मदनगंज शाखा में नकद राशि कम पाए जाने पर उप महानिरीक्षक एवं मण्डल प्रमुख आत्माराम आए हुए होना, उनके साथ वरिष्ठ प्रबंधक निरीक्षण मण्डल, जोधपुर रमाकांत शर्मा का आना व सत्यपाल चौधरी द्वारा वादी बैंक में एक आकस्मिक निरीक्षण किया जाना, दिनांक 17.12.2011 को बुक्स में अंकित राशि की तुलना में 64,48,300/–रुपये कम पाया जाना, जिसमें 44,48,200/–रुपये स्ट्रांग रूम में एवं 19,50,100/–रुपये एटीएम में कम पाई गई। उक्त राशि कम पाए जाने पर सत्यपाल सिंह द्वारा आत्माराम उपमहानिरीक्षक, जोधपुर को फोन पर सारी स्थिति से अवगत कराने पर वे स्वयं रमाकांत शर्मा को साथ लेकर आए, जिन्होंने उसे दिनांक 17.12.2011 को लगभग ढाई–तीन बजे फोन करके मुख्य शाखा में बुलाया और कहा कि 64–65 लाख रुपये के गबन का मामला है, इसलिए आप सत्यपाल सिंह के साथ मिलकर केश की वापस काउंटिंग कीजिए। दिनांक 17.12.2011 को उसने सत्यपाल के साथ मिलकर स्ट्रॉग रूम एवं एटीएम में उपलब्ध नकद राशि की संयुक्त रूप से पुनः जांच की तो स्ट्रॉग रूम में

44,98,200/–रुपये एवं एटीएम में 19,50,100/–रुपये कुल 64,48,300/–रुपये कम पाए जाने की पुष्टि हुई, जिसका एक मीमो बनाकर उसने व सत्यपाल ने हस्ताक्षर करके मण्डल प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत किया था। गवाह ने प्रदर्श 8 दस्तावेज को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया है तथा उस पर सी से डी अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है और ऐ से एफ इबारत स्वयं द्वारा अंकित किए जाने का कथन किया है।

24. **जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि दिनांक 17.12.2011 को बैंक बुक्स में कितनी राशि थी, इसका अंकन उसने साक्ष्य शपथ पत्र में नही किया हैं। यह कहना सही है कि कैश को पुनः गणना करने के लिए उसे मुख्य शाखा से कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया था, उसे मौखिक रूप से कहा गया था। गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि दिनांक 17.12.2011 को बैंक बुक्स में कितनी राशि थी, इस बाबत कोई दस्तावेज पेश किया गया है या नहीं स्वतः कहा कि वह पत्रावली देखकर बता सकता है। गवाह ने पत्रावली पर देखकर प्रदर्श 10 में जांच रिपोर्टकर्ता की रिपोर्ट होना बताया है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श 10 में बैंक बुक्स में कुल कितनी राशि होनी चाहिए थी, कुल राशि अंकित नही है, बल्कि उनकी विस्तृत रिपोर्ट, नोटों की संख्या अंकित है। यह कहना सही है कि प्रदर्श 11 बैंक का ही दस्तावेज हैं। वह प्रदर्श 11 को देखकर बता सकता है कि दिनांक 16.12.2011 को बैंक बुक्स में 61,18,111 रूपये 24 पैसे की राशि थी। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उसने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में पैरा संख्या 4 में 44,98,200/– रुपये स्ट्रॉग रूम में कम पाये गये, गलत लिखा हो। यह कहना गलत है कि एटीएम राशि की गणना उसके समक्ष नहीं हुई हो।

25. **अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि उसने दिनांक 17.12.2011 को दोपहर मे कैश की पुनर्गणना की थी, उस समय

में औघोगिक क्षेत्र की शाखा में कार्यरत होना, मंडल प्रमुख आत्माराम शर्मा के मौखिक आदेश से कैश की पुनर्गणना करना बताया है। अन्य कोई कथन अपने मुख्य परीक्षण के विपरीत विरोधाभासी नहीं किए हैं।

26. इस प्रकार से उक्त गवाह पी.ड. 2 सुनील रावत ने भी अपनी साक्ष्य में पी.ड. 1 टुण्डाराम मीणा के कथनों की पुष्टि करते हुए सत्यपाल सिंह व स्वयं द्वारा संयुक्त रूप से, मंडल प्रमुख के आदेश से वादी बैंक में कम पायी गई राशि की पुनर्गणना करने व पुनर्गणना करने पर 64,48,300/–रुपये की राशि कम पाए जाना जिसका दस्तावेज प्रदर्श 8 में ई से एफ भाग में स्वयं के हस्तलेख में रिपोर्ट अंकित किया जाना व सी से डी स्वयं के हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया है तथा गवाह पी.ड. 1 के कथनों की ताईद की है। जिरह में उक्त गवाह की साक्ष्य का किसी प्रकार से खंडन नहीं हुआ है।

27. अन्य **गवाह पी.ड. 4 सत्यपाल** है, जिनके द्वारा वादी बैंक की आकस्मिक जांच किए जाने का कथन वादी ने अपनी साक्ष्य में किया है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में यह कथन किया है कि उसे अंचल निरीक्षण कार्यलय जयपुर द्वारा दिनांक 08.12.2011 को आदेश जारी करके वादी बैंक की मदनगंज–किशनगढ़ स्थित शाखा का आकस्मिक निरीक्षण करने का कार्य सौंपा गया था। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 17.12.2011 को 11.00 एएम पर वादी बैंक की समस्त नगदी का आकस्मिक निरीक्षण एवं जांच की गयी, जिसके दौरान स्ट्रोंग रूम एवं एटीएम पर उपलब्ध समस्त नगद राशि अभिलेखों की तुलना में 64,48,300/– रुपये की राशि कम पायी गयी, जिसकी सूचना उसें द्वारा उच्च अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से दी गयी एवं सूचना प्राप्त होने पर मण्डल कार्यालय जोधपुर के उपमहाप्रबन्धक, मण्डल प्रमुख एवं वरिष्ठ प्रबंधक निरीक्षण मण्डल कार्यालय जोधपुर से वादी बैंक की मदनगंज किशनगढ़ स्थित शाखा पर पहुंचे जहां उसके द्वारा नगदी की निरीक्षण रिपोर्ट इनके समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी। उक्त के बाद उपमहाप्रबन्धक, मण्डल प्रमुख एवं वरिष्ठ प्रबंधक निरीक्षण मण्डल

कार्यालय जोधपुर द्वारा स्ट्रॉग रूम एवं एटीएम में उपलब्ध राशि की पुनः गणना व जांच करने हेतु कहा गया एवं इसके लिए मदनगंज में औद्योगिक क्षेत्र में स्थित शाखा के वरिष्ठ प्रबन्धक सुनील कुमार रावत को बुलवाया गया एवं दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से पुनः जांच करने का निर्देश दिया। उसके द्वारा एवं सुनील रावत द्वारा पुनः जांच करने पर स्ट्रोंग रूम में एवं एटीएम में उपलब्ध राशि अभिलेखों की तुलना में 64.48,300/– रुपये कम पायी गयी। उसके द्वारा वादी बैंक में उपलब्ध नगदी की रिपोर्ट तैयार कर मण्डल प्रमुख को सुपुर्द की गयी, जिसके अनुसार स्ट्रॉग रूम में 44,98,200/– रुपये स्ट्रॉग रूम में रखी हुई राशि में से कम पायी गयी एवं एटीएम में रखी हुई राशि में से 19,50,100/–रुपये कुल 64,48,300/– रूपये कम पाये गये। वादी बैंक के मण्डल प्रमुख ए.आर. शर्मा द्वारा एवं वरिष्ठ प्रबन्धक निरीक्षण रमाकान्त जी शर्मा द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 से पूछताछ करने पर घेवर चन्द बड़ौला ने यह बताया कि उक्त राशि उसने अपने पुत्रों को मद्रास में व्यवसाय करवाने के लिए एवं तीसरे पुत्र को चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट की शिक्षा दिलवाने के लिए थोड़े समय के लिए अपने उपयोग में ले ली थी। सायरमल ने भी यह बताया कि उसने कृषि भूमि खरीदने के लिए उक्त राशि अपने उपयोग में ले ली। मण्डल प्रमुख एवं वरिष्ठ प्रबन्धक निरीक्षण द्वारा पुलिस थाने में बैंक की धनराशि का गबन करने के बाबत रिपोर्ट करने की आपस में चर्चा करने पर घेवरचन्द बडौला ने अपनी हस्तलिपि में एक प्रार्थना पत्र लिखकर मण्डल प्रमुख के समक्ष दिनांक 17.12.2011 को यह निवेदन किया कि आज दिनांक को शाखा की नगदी एवं एटीएम की जांच के दौरान क्रमशः 44,98,200 /– एवं 19,50,000/– रुपये कम पाये गये। इनमें से नगदी रुपये 34,98,200 /– एवं एटीएम की राशि रूपये 19,50,000/– का उपयोग उसने किया है एवं इनकी पूर्ति वह एक सप्ताह में आवश्यक रूप से कर देगा। कृपया उसके विरूद्ध पुलिस कार्यवाही नहीं की जाये, आपकी अति कृपा होगी। इसके बाद अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद इसी प्रार्थना पत्र में पुनः यह अंकित किया "इसके अतिरिक्त मैंने बैंक के किसी भी अन्य शीर्ष को नामें लिखकर कोई उपयोग नहीं किया, यदि ऐसा पाया जाता तो उसके लिए मैं

जिम्मेदार रहूंगा। इस प्रार्थना पत्र पर घेवरचन्द बड़ौला ने मनोज महाजन से एवं सत्यपाल चौधरी से निवेदन करके बतौर गवाह हस्ताक्षर करवाये। दिनांक 17.12.2011 को ही सायरमल सिंघावत ने एक प्रार्थना पत्र मण्डल प्रमुख मण्डल कार्यालय जोधपुर केम्प किशनगढ़ के नाम लिखकर दिया जिसमें निवेदन किया कि आज दिनांक 17.12.2011 को जोनल ऑफिस जयपुर से वरिष्ठ निरीक्षक सत्यपाल जी ने उनकी शाखा का कैश चैक किया जिसमें कैश मीमो के हिसाब से 45,00,000/– रुपये कम पाये गये, जिसमें से 35,00,000/– रूपये उसने दिनांक 13.12.2011 को प्रबन्धक बड़ौला जी को दिये तथा रुपये 10,00,000/– रूपये उसने दिनांक 16.12.2011 को लिये। एटीएम में करीब 19,50,000/– रूपये की कमी पायी गयी उसका उसे कोई पता नहीं क्योंकि उसका हिसाब जी.सी. बड़ौला वरिष्ठ प्रबन्धक ही रखते थे। इतना लिखने के बाद सायरमल ने अपने हस्ताक्षर किये। सायरमल ने यह भी लिखा कि वह 10,00,000/– रूपये की पूर्ति सात दिवस में कर देगा, उसके खिलाफ पुलिस कार्यवाही नहीं की जावे। इस प्रार्थना पत्र पर सायरमल सिंघावत ने मनोज महाजन से एवं उससे निवेदन करके बतौर गवाह हस्ताक्षर करवाये एवं यह प्रार्थना पत्र मण्डल प्रमुख को सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद उसने एवं मनोज महाजन ने घेवरचन्द बडौला से एवं सायरमल से यह जानकारी चाही कि आपने उक्त राशि बैंक से क्यों ली तब घेवरचन्द बडौला ने कहां कि उसे अपने दो बेरोजगार लड़को को मद्रास में व्यवसाय करवाना था एवं तीसरे छोटे लड़के को चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट की पढ़ाई करवाने के रुपयों की आवश्यकता होने से उक्त राशि थोड़े समय के लिए अपने उपयोग में ली थी, किन्तु यह उसका दुर्भाग्य था कि रुपये लेने के 2–4 दिन बाद ही आकस्मिक निरीक्षण हो गया। सायरमल ने भी यह बताया कि बड़ौला जी ने 54,00,000/–रूपये के लगभग राशि ली तो उसने भी गांव में खेती की जमीन खरीदने के लिए 10,00,000/– रुपये ले लिये। दिनांक 17.12.2011 को वादी बैंक के मण्डल कार्यालय जोधपुर के मण्डल प्रमुख द्वारा उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना मदनगंज पर दर्ज करवायी गयी, जहां दिनांक

17.12.2011 को 10.00 पीएम पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 647 अन्तर्गत धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज की गयी। अनुसंधान शुरू किया गया, इस दौरान उसके द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 17.12.2011 से दिनाक 29.01.2012 तक घेवरचन्द बड़ौला अन्यत्र गायब रहा। दिनांक 29.01.2012 को अनुसंधान अधिकारी द्वारा घेवरचन्द बड़ौला को गिरफतार किया गया। इसी प्रकार प्रतिवादी नम्बर 2 सायरमल भी काफी समय तक गायब रहा, इसलिए दिनांक 26.04.2012 को अनुसंधान अधिकारी द्वारा घेवरचन्द बड़ौला के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां चार्जशीट पेश की गयी। उसके बाद ज्ञात हुआ कि घेवरचन्द बड़ौला को दिनांक 15.12.2012 को 3 वर्ष के साधारण कारावास एवं 20,000/– रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। यह भी ज्ञात हुआ कि घेवर चन्द बड़ौला द्वारा माननीय अपर सैशन न्यायाधीश किशनगढ़ कोर्ट में प्रस्तुत अपील भी दिनांक 03.01.2014 को खारिज कर दी गयी थी। यह भी ज्ञात हुआ कि सायरमल सिंघावत द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर के आदेश से 10,00,000 /– रूपये वादी बैंक में जमा करवा दिये गये हैं। यह भी ज्ञात हुआ कि घेवरचन्द बड़ौला जाति से ओसवाल जैन था एवं बहुत ही सात्विक प्रवृति का व्यक्ति था, जिसे कभी भी शराब, जुआं, सट्टा एवं रंडीबाजी का कोई शौक नहीं था। यहां तक कि घेवरचन्द बड़ौला बीड़ी, सिगरेट व गुटका, जर्दे आदि का उपयोग भी नहीं करता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि घेवरचन्द बडौला ने जो बात दिनांक 17.12.2011 को मण्डल प्रमुख एवं अन्य अधिकारियों के समक्ष बैंक से अनाधिकृत रूप से लिये गये रुपयों के उपयोग के सम्बन्ध में कहीं थी, वह सही एवं सत्य थी। घेवरचन्द बड़ौला द्वारा बैंक से प्राप्त अनाधिकृत राशि का उपयोग अपने पुत्रों के व्यापार व्यवसाय एवं शिक्षा हेतु ही किया था।

28. गवाह ने अपनी दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 9 जो की आकस्मिक जांच करने के लिए अधिकृत करने का आदेश है, को डीजीएम जोनल ऑडिट ऑफिस,

जयपुर द्वारा दिनांक 08.12.2011 को जारी किया जाना बताया है। प्रदर्श 10 सरप्राइज कैश चैकिंग रिपोर्ट शाखा किशनगढ़ और उसके एटीएम की होना, जिस पर ए से बी व सी से डी स्वयं के हस्ताक्षर होना, प्रदर्श 8 सरप्राइज कैश चैकिंग एट ब्रांच हैड किशनगढ़ पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर, सुनील कुमार रावत के साथ पुनः नोटों काउंटिंग करने पर जो ई से एफ है एवं सी से डी सुनील कुमार रावत के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श 11 दिनांक 16.12.2011 की सायंकाल को कैश बंद करते समय कैश बैलेंस की रिपोर्ट है। प्रदर्श 12 सायरमल द्वारा मंडल प्रमुख को कैश शॉर्टेज पाये जाने पर दिया गया पत्र है, जिस पर सी से डी उसके, ई से एफ मनोज महाजन के तथा ए से बी सायरमल के हस्ताक्षर है। प्रदर्श 13 पर ई से एफ उसके सी से डी मनोज महाजन के एवं ए से बी घेवरचंद बडौला जी के दो जगह हस्ताक्षर है।

29. **अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि दिनांक 17.12.2011 को बैंक बुक्स में कुल कितनी राशि थी, इसका उल्लेख उसके द्वारा पेश साक्ष्य के शपथ पत्र में नहीं है। अजखुद कहा कि कुल रकम का अंकन नहीं है लेकिन डिनोमिनेशन वाइस किस डिनोमिनेशन के कितने नोट बैंक में होने चाहिए थे और कितने नोट चैकिंग के समय मिले वह रिपोर्ट में अंकित किया गया हैं, जिससे यह स्पष्ट पता चलता है कि कैश की कितनी शॉर्टेज शाखा में मिली, कुल मिलाकर 64,48,300 रुपये की शॉर्टेज मिली। उस दिन बैंक की कैश सेफ में 61,18,111 रुपये 24 पैसे होने चाहिए थे, एटीएम में कुल 19,50,100/–रुपये की शॉर्टेज मिली, एटीएम में उस दिन कुल कितनी राशि होनी चाहिए थी यह उसे आज याद नही हैं। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श 10 में बैंक बुक्स में दिनांक 16.12.2011 व 17.12.2011 को कुल राशि कितनी थी इसका उल्लेख नहीं होना स्वीकार किया है। गवाह ने कुल राशि का अंकन प्रदर्श 11 में ई से एफ के मध्य होना बताया, जो 61,18,111 रुपये 24 पैसे होने का कथन किया है। गवाह ने यह भी कथन किया

है कि घेवरचंद बडौला के पुत्रों के नाम की जानकारी उसे नही हैं। घेवरचंद का कौनसा पुत्र क्या काम करता है, इसकी जानकारी उसे नही हैं। घेवरचंद का कौनसा पुत्र कहां तक पढा हुआ है इसकी उसे जानकारी नही है। घेवरचंद के पुत्र कहां क्या काम करते हैं, इसकी उसे जानकारी नहीं है। प्रदर्श 6 के बारे में उसे जानकारी नहीं है। यह बात सही है कि उसके द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। यह कहना सही है कि उसके द्वारा पेश साक्ष्य के शपथ पत्र में उसके द्वारा यह नहीं लिखवाया गया है कि घेवरंचद बडौला के द्वारा गबन की राशि को किसमें खर्च किया गया है। अजखुद कहा कि उसने शपथ पत्र में लिखा है कि गबन की राशि कहां खर्च की गई। घेवरचंद द्वारा गबन की राशि कहां खर्च की गई इसकी प्रथम बार जानकारी उसे दिनांक 17.12.2011 को हुई थी। दिनांक 17.12.2011 को उसे गबन की राशि खर्च होने की जानकारी बताई गई है, उक्त का कोई दस्तावेज उसके पास नहीं है। यह कहना सही है कि उसने घेवरचंद बडौला के साथ कभी सर्विस नहीं की। यह कहना सही है कि वह घेवरचंद बडौला के गांव का निवासी नहीं है। घेवरचंद बडौला सर्विस के अलावा क्या काम करते थे इसकी उसे जानकारी नहीं हैं। घेवरचंद बडौला के क्या शौक थे, इसकी उसे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि जिस राशि की वसूली का वाद पेश कर रखा है, उसके पेटे दस लाख रुपये जमा हो चुके है। अजखुद कहा कि यह रकम सायरमल जी ने जमा करवाई। घेवरचंद और उसके मध्य दिनांक 17.12.2011 को ही बात हुई थी, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई थी। गवाह ने यह भी कथन किया है कि गबन की रकम उन्होनें अपने बेटों के मद्रास में बिजनेस और एक बेटे की पढाई पर लगाया हैं, जो बड़ौला द्वारा बताए जाने का कथन किया है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह बात सही है कि उपरोक्त बात किसी स्टेटमेंट में लिखी हुई नही है। अजखुद कहा कि साक्ष्य शपथ पत्र में लिखी हुई हैं। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श 13 में बच्चों के संदर्भ में जो उसके द्वारा बयान दिये गये है, उसका अंकन नहीं है। अजखुद कहा कि मौखिक कहा था। यह कहना सही है कि उसके द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र में जो मुकदमा का

हवाला दिया है, उक्त के अंतिम निस्तारण से पूर्व ही घेवरचंद की मृत्यु हो गई थी। घेवरचंद बडौला के खिलाफ किस न्यायालय में चार्जशीट पेश हुई, किस तारीख को चालान पेश हुआ, मुकदमे के एफआईआर नंबर की उसे जानकारी नहीं है तथा यह मुकदमा किस धारा के अन्तर्गत दर्ज हुआ इसकी भी उसे जानकारी नहीं है। सायरमल के द्वारा किस आदेश से राशि जमा कराई गई इसकी उसे जानकारी नही होना बताया। **प्रतिवादी सं. 2 की जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श 12 का मूल दस्तावेज कहां पर है यह उसकी जानकारी में नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श 12 मूल दस्तावेज फौजदारी पत्रावली में था, जिसका निर्णय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। प्रदर्श 12 उसके सामने नहीं लिखा गया था। अजखुद कहा कि सायरमल खुद लिखकर लाया था और उससे गवाही कराई थी, उस समय ए.आर. शर्मा बैंक में उपस्थित थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श 12 में ए आर शर्मा के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्श 12 लिखे जाने से पूर्व यह उसकी जानकारी में आ गया कि बैंक राशि का गबन हुआ है। यह कहना सही है कि उसे बैंक राशि का गबन होने की जानकारी के बाद उसके द्वारा पुलिस में कोई शिकायत नही की गई। स्वतः कहा कि उसने उच्च अधिकारियों को सूचित किया और ए आर शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई। यह कहना गलत है कि प्रदर्श 12 पर ए से बी हस्ताक्षर सायरमल ने उसके सामने नहीं किये हो। यह कहना गलत है कि उसने व ए आर शर्मा ने षड्यंत्र रचकर के सायरमल को निलंबित करने के लिए प्रदर्श 12 कूटरचित दस्तावेज तैयार किया था।

30. अन्य गवाह **पी.ड. 3 वरुण कौशिक** है, जिसने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में स्वयं का दिनांक 30.06.2022 से साक्ष्य दिवस को शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत होना, पुराने कर्मचारियों एवं तत्कालीन अधिकारी गंगासहाय गुप्ता द्वारा घेवरचंद बडोला द्वारा वाद वर्णित राशि का उपयोग अपने दोनों बड़े पुत्रों को बस स्टैंड विलिवाक्रम, चेन्नई में हार्डवेयर का व्यवसाय करवाने में किया जाना व तीसरे

“Authenticated Document”

पुत्र को मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई में करवाया जाना बताया है। गवाह ने घेवरचंद बडौला का ओसवाल जैन होना, शरीफ, सज्जन व्यक्ति होना, सात्विक प्रवृति का होना तथा अच्छी प्रवृत्ति के कारण बैंक कर्मचारियों द्वारा सम्मान करना, एवं शराब, जुआं, सट्टा आदि का शौक नहीं होना बताया है। गवाह ने दस लाख रुपए की राशि सायरमल द्वारा वापस जमा करवाए जाने का भी कथन किया है। **जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि दिनांक 30.06.2022 से पूर्व में मदनगंज शाखा में कार्यरत नहीं था। यह कहना सही है कि वह कभी प्रतिवादी घेवरचंद के साथ नहीं रहा था ना ही उसने उनके साथ कार्य किया। गवाह ने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में पुराने कर्मचारियों का नाम का उल्लेख नहीं किया जाना स्वीकार किया है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह कहना सही है कि घेवरचंद के वारिसान हार्डवेयर का व्यवसाय चेन्नई में उसके द्वारा करना बताया गया है, उक्त बाबत ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं करने का कथन किया है। यह कहना सही है कि घेवरचंद बडौला का पुत्र चार्टेड अकाउंटेंट हो तो, इस बाबत दस्तावेज पेश नहीं किया जाना भी स्वीकार किया है। उसके द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र में घेवरचंद बडौला के पुत्र का चेन्नई में हार्डवेयर का व्यवसाय करना बताया गया हैं, परंतु जिरह में गवाह ने उनके नाम पता नहीं होने का कथन किया है। गवाह ने घेवरचंद को व्यक्तिगत रूप से जानने से इनकार किया है। यह कहना सही है कि प्रतिवादी घेवरचंद को किसी तरह के कोई गलत शौक नहीं थे। यह पुराने कस्टमर और पुराने स्टॉफ से सुने जाने का कथन किया है। गवाह ने दस लाख रुपये की राशि सायरमल द्वारा जमा करवाए जाने का तथ्य भी स्वीकार किया है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह कहना सही है कि उक्त राशि जमा होने के बाद वादपत्र में इस संबंध में कोई संशोधन नहीं करवाया गया।

31. अन्य गवाह **पी.ड. 5 मनोज महाजन** है, जिसने भी अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में वादी व जांच अधिकारी सत्यपाल के कथनों के समरूप कथन किए हैं व जांच में वादी बैंक की मदनगंज स्थित शाखा में दिनांक 17.12.2011 को

64,48,300/–रुपये कम पाए जाने का कथन करते हुए सायरमल व घेवरचंद द्वारा प्रार्थना पत्र मंडल प्रमुख के समक्ष पेश किए जाने पर उनके द्वारा कम पाई गई राशि को अपने उपयोग में लिए जाने के तथ्य को स्वीकार किया है तथा प्रतिवादी घेवरचंद द्वारा उक्त राशि अपने दो पुत्रों के व्यापार व एक बेटे की चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई में लगाने का भी कथन किया है। इसके अतिरिक्त गवाह ने प्रदर्श 12 व 13 पर स्वयं के हस्ताक्षरों की पुष्टि की है। उक्त हस्ताक्षर सायरमल व घेवरचंद के कहने पर किया जाना बताया है। **अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने स्वयं का नवंबर 2010 से जनवरी 2012 तक पंजाब नेशनल बैंक में अधिकारी के तौर पर कार्यरत होना, उसके पास ऋण विभाग होना, कैश विभाग में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होना एवं नवंबर 2010 से जनवरी 2012 तक पंजाब नेशनल बैंक किशनगढ में नियुक्ति था, उसका नियुक्ति पत्र पेश नहीं किया जाना स्वीकार किया है। दस्तावेज प्रदर्श 12 पर उसके निष्पादन का समय अंकित नहीं होना, दस्तावेज प्रदर्श 12 को कूटरचित होने से इनकार किया है। दस्तावेज प्रदर्श 12 राजीखुशी लिखा जाना, दस्तावेज प्रदर्श 12 घेवरचंद बडौला व सायरमल द्वारा लिखा जाना, प्रदर्श 12 किसकी हैंडराइटिंग है, इसकी कोई एफएसएच जांच पत्रावली पर मौजूद नहीं होना, दिनांक 17.12.2011 को सायरमल व घेवरचंद बडोला बैंक में उपस्थित हो, ऐसा कोई उपस्थिति रजिस्टर पत्रावली पर मौजूद नहीं होना स्वीकार किया है। सायरमल द्वारा दस लाख रुपये बैंक में जमा करवा दिये थे, यह अपनी जानकारी में नही होना बताया है।

32. उक्त गवाह के बयान प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान के संबंध में डैफर किए गए। गवाह को बार–बार तलब करने पर वादी द्वारा उक्त गवाह को जिरह हेतु पेश नहीं करने पर अंततः दिनांक 06.08.2025 को गवाह की साक्ष्य बंद की गई थी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त गवाह की मुख्य परीक्षा व जिरह केवल प्रतिवादी सं. 2 की हद तक ही पढ़े जाने योग्य है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जिरह नहीं की गई है। अतः उसके संदर्भ में उक्त बयान पढ़े जाने योग्य नहीं है।

33. इस प्रकार से वादी की ओर से जो गवाहान परीक्षित करवाए गए हैं, उनमें वादी टुण्डाराम मीणा पी.ड. 1 ने अपनी साक्ष्य में वादपत्र में वर्णित अभिवचनों के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 का वादी बैंक की शाखा मदनगंज किशनगढ़ के वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर दिनांक 15.01.2009 से दिनांक 17.12.2011 तक कार्यरत होना तथा प्रतिवादी संख्या 2 सायरमल का दिनांक 14.08.2008 से दिनांक 17.12.2011 तक मुख्य खजांची के पद पर रहने का कथन किया है, जिसका उसकी साक्ष्य में खंडन नहीं हुआ है। प्रतिवादी ने उक्त अवधि में प्रतिवादी संख्या 1 घेवरचंद व प्रतिवादी संख्या 2 सायरमल वादी बैंक में कार्यरत नहीं रहे हो, ऐसा कोई कथन नहीं किया है। पूर्व विवेचनानुसार उक्त दोनों का क्रमशः वरिष्ठ प्रबंधक व खजांची के पद पर जांच दिनांक को कार्यरत होना साक्ष्य से प्रमाणित है। वादी गवाह पी.ड. 1 ने सत्यपाल, जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 17.12.2011 को अंचल निरीक्षण कार्यालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 08.12.2011 प्रदर्श 9 के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण एवं जांच के दौरान स्ट्रांग रूम व एटीएम पर उपलब्ध समस्त नकद राशि अभिलेखों में अंकित राशि की तुलना में 64,48,300/–रुपये कम पाया जाना बताया है तथा उक्त कम पाई गई राशि के संबंध में सत्यपाल द्वारा दूरभाष पर अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दिया जाना, **जिस पर मंडल कार्यालय जोधपुर के उपमहाप्रबंधक, मण्डल प्रमुख एवं वरिष्ठ प्रबंधक निरीक्षण मण्डल कार्यालय, जोधपुर** द्वारा वादी बैंक की मदनगंज स्थित शाखा पर पहुंचकर सत्यपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर पुन जांच का आदेश दिया जाना। सुनील कुमार रावत पी.ड. 3 व सत्यपाल सिंह पी.ड. 4 के द्वारा पुनः जांच की गई तो अभिलेखों में अंकित राशि की तुलना में नकद राशि 64,48,300/–रुपये कम पाई गई, जिसमें से स्ट्रांग रूम में 44,98,200/–रुपये व एटीएम में 19,50,100/–रुपये कम पाए जाने का कथन किया है। पूछताछ करने पर मुख्य प्रबंधक घेवरचंद बडोला व सायरमल के द्वारा उक्त राशि को अपने उपयोग में लिए जाने के संबंध में स्वीकारोक्ति किए जाने का कथन गवाह ने अपनी साक्ष्य में किया है तथा उनकी स्वीकारोक्ति प्रदर्श 12 व 13 होना अपनी साक्ष्य में बताया है और

जिस पर सत्यपाल एवं मनोज महाजन के हस्ताक्षर होने का भी कथन किया है। उक्त गवाह की जिरह में उसके मुख्य परीक्षा में किए गए कथनों का खंडन नहीं हुआ है। वादी बैंक में दिनांक 17.12.2011 को आकस्मिक निरीक्षण कर जांच करने बाबत कथनों की पुष्टि गवाह पी.ड. 2 सुनील कुमार रावत, पी.ड. 4 सत्यपाल, पी.ड. 5 मनोज कुमार महाजन ने अपनी साक्ष्य में की है, जिसका उनकी जिरह में किसी प्रकार से खंडन नहीं हुआ है।

34. इस संबंध में वादी द्वारा दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें आकस्मिक जांच के दौरान तैयार की गई रिपोर्ट प्रदर्श 10 है। उक्त रिपोर्ट का निष्पादन गवाह पी.ड. 4 सत्यपाल ने अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया है। इसी प्रकार दस्तावेज प्रदर्श 8 में भी कम पाई गई राशि कुल 64,48,300/–रुपये का अंकन है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य का किसी प्रकार से खंडन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त जो स्वीकारोक्ति प्रदर्श 12 व प्रदर्श 13 प्रदर्शित करवाई गई है, उनमें भी उक्त राशि का कम पाया जाना तथा घेवरचंद बडोला द्वारा दस्तावेज प्रदर्श 13 में उक्त राशि का स्वयं द्वारा उपयोग किया जाना, इसी प्रकार सायरमल द्वारा भी दस्तावेज प्रदर्श 12 में उक्त राशि का कम पाया जाना एवं 10 लाख रुपए स्वयं के उपयोग में लिए जाने का अंकन किया है, जिसका वादी गवाहान की साक्ष्य में उनकी जिरह में खंडन नहीं हुआ है।

35. दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी ने कथन किया है कि उक्त दस्तावेज प्रदर्श 12 व 13 उच्च अधिकारियों के दबाव में घेवरचंद व सायरमल द्वारा लिखे गए हैं। अतः उक्त दस्तावेज स्वैच्छिक नहीं होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इस संबंध में वादी साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो वादी गवाह पी.ड. 1 टुण्डाराम मीणा, पी.ड. 2 सुनील कुमार रावत, पी.ड. 4 सत्यपाल एवं पी.ड. 5 मनोज कुमार महाजन ने अपनी साक्ष्य में उक्त दस्तावेज प्रदर्श 12 व 13 पर क्रमशः सायरमल व घेवरचंद बडौला द्वारा मंडल प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के तथ्य की पुष्टि की है तथा उक्त दस्तावेजों पर बतौर गवाह सत्यपाल व मनोज कुमार के हस्ताक्षर होना

स्वीकार किया है। उक्त दोनों गवाहान की साक्ष्य में उक्त दस्तावेज का किसी प्रकार से खंडन नहीं हुआ है कि उक्त दस्तावेजों पर सायरमल व घेवरचंद बडोला के हस्ताक्षर न हो, ऐसा कोई सुझाव प्रतिवादी द्वारा नहीं दिया गया है। वादी गवाह पी.ड. 4 सत्यपाल को दिया गया सुझाव कि प्रदर्श 12 पर ए से भी हस्ताक्षर सायरमल द्वारा उसके सामने नहीं किए गए हो, गलत होना बताया है। इसी प्रकार गवाह पी.ड. 5 मनोज कुमार महाजन ने भी अपनी साक्ष्य में प्रदर्श 12 व 13 पर अपने हस्ताक्षरों की पुष्टि की है। उक्त गवाह ने भी अपनी साक्ष्य में जिरह में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि उक्त दस्तावेजों पर घेवरचंद बडोला व सायरमल के हस्ताक्षर न हो। दोनों ही गवाहान ने दस्तावेज कूटरचित तैयार किया गया हो, इस तथ्य से इनकार किया है। प्रदर्श 13 घेवरचंद बडौला व प्रदर्श 12 सायरमल द्वारा लिखा जाने का कथन किया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी सं. 2 सायरमल ने अपने जवाबदावे के पैरा सं. 10 में यह तथ्य स्वीकार किया है कि मंडल प्रमुख द्वारा प्रतिवादी सं. 1 व 2 से उक्त प्रकार नकद राशि अभिलेखों की तुलना में कम पाए जाने के बारे में पूछताछ करने पर प्रतिवादी सं. 1 ने 54,48,300/–रुपये स्वयं के द्वारा अपने निजी काम में लेने के बारे में सत्यपाल सिंह व बैंक अधिकारी की साक्षी में अपनी हस्तलिपि में लिखकर बैंक मंडल प्रमुख को सुपुर्द किया। गवाह ने प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 2 को यह आश्वासन देने का कथन किया कि वह इस राशि के बारे में लिखकर दे दे, वह पैसे शीघ्र जमा करवा देगा। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा कोई भी राशि जमा नहीं करवाई गई। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 2 ने अपने जवाब दावे में प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद की स्वीकृति जो प्रदर्श 13 है, को मंडल प्रमुख के समक्ष किया जाना स्वीकार किया है तथा स्वयं का लिखकर देना भी स्वीकार किया है, वह प्रतिवादी सं. 1 के कहने पर लिखे जाने का कथन किया है, परंतु ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। मंडल प्रमुख जांच अधिकारी व अन्य किसी उच्च अधिकारी ने जबरन दबाव में उक्त स्वीकृति लिखवाई हो, ऐसा कोई कथन नहीं किया है।

36. इस प्रकार से वादी गवाह ने अपनी साक्ष्य में उक्त दस्तावेज प्रदर्श 12 व

13 के प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा निष्पादन बाबत कथन किए हैं, जिनका उनकी जिरह में खंडन नहीं हुआ है। उक्त दोनों गवाहान के समक्ष प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद व प्रतिवादी सं. 2 सायरमल द्वारा किए गए कथन, जिसमें उन्होंने अपने दायित्व को स्वीकार किया है, स्वीकृति की कोटि में आते हैं, जो गवाहान की उपस्थिति में किए गए हैं। उक्त दस्तावेजों पर घेवरचंद बडौला व सायरमल के हस्ताक्षर न हो, फर्जी, कूटरचित हो, ऐसी कोई साक्ष्य प्रतिवादी की ओर से खंडन में प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावे में उक्त दस्तावेजों के निष्पादन से इनकार किया गया है, परंतु साक्ष्य से उक्त दस्तावेजों का किसी प्रकार से खंडन नहीं किया गया है। प्रतिवादी द्वारा जो गवाह डी.ड. 1 अंकुर जैन परीक्षित करवाया है, उक्त गवाह से पूछे गए प्रश्न कि प्रदर्श 13 में जो लिखा हुआ है, वह उसके पिता के द्वारा लिखा गया है, इसकी उसे जानकारी है, के उत्तर में गवाह ने यह कथन किया है कि उसके पिता ने बताया है कि यह उनसे दबाव में लिखवाया गया है। इसलिए उन्होंने यह भी लिखा कि उसके खिलाफ कोई पुलिस कार्यवाही नहीं की जाएगी। उक्त बात उसके पिता ने उसे किस दिनांक व किस वर्ष को बताई यह पुरानी बात होने के कारण याद नहीं होना बताया है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रदर्श 13 में सारी लिखावट व ए–बी हस्ताक्षर उसके पिताजी के हैं या नहीं। वह अपने पिताजी की हस्तलिपि को थोड़ी–थोड़ी पहचानता है। शपथ पत्र के पैरा नंबर 2 में उसके द्वारा सी से डी भाग उसे उसके पिता ने ही बताई थी, उसी आधार पर उसने लिखी है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रदर्श 1 निर्णय व प्रदर्श 2 निर्णय में प्रदर्श 13 को सही मानते हुए गबन होना मानते हुए सजा की हो। यह कहना सही है कि बैंक संबंधित सम्पूर्ण बातें उसे उसके पिता ने ही बताई थी, उसे व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है। यह कहना सही है कि उसके हिसाब से उसके पिताजी के साइन दबाव से करवाये गये थे। इस प्रकार से उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में जिरह में दस्तावेज प्रदर्श 13 को उसके पिता से दबाव में लिखवाना बताया है, जबकि मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में अपने पिता द्वारा ऐसी स्वीकृति दिए जाने से ही इनकार किया है। उक्त साक्ष्य विरोधाभासी है। इसके अतिरिक्त गवाह ने बैंक संबंधी

बातों की जानकारी अपने पिता से होना बताया है व स्वयं के ज्ञान में नहीं होने का कथन किया है, जिससे प्रकट है कि गवाह उक्त दस्तावेजों के निष्पादन के समय बैंक में मौजूद हो, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी है। इसके अतिरिक्त गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह कहना गलत है कि दिनांक 17.12.2011 बैंक के स्ट्रांगरूम की राशि की गणना शाम के समय हुई थी, यह बात उसके पिता ने बताई हो। अजखुद कहा कि उसे उसके पिता ने शाम को ही फोन किया और सारी बात बताई इसलिए उसने अंदाजा लगाया। इस प्रकार उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में पिता द्वारा शाम को फोन करने पर बात बताए जाने का कथन किया है। गवाह ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि उसके पिता ने शाम को फोन किया, तब उसे बताया हो कि बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों ने उससे जबरन स्वीकारोक्ति पर हस्ताक्षर करवाए हो या दबाव में उक्त दस्तावेज का निष्पादन करवाया हो, बल्कि गवाह ने अपनी जिरह में उसके पिता ने किस दिनांक, किस वर्ष को बात बताई वह पुरानी बात होने से याद नहीं होना बताया है। अतः ऐसी स्थिति में जांच के दौरान प्रतिवादिगण द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के संबंध में उनके द्वारा अपने परिवारजन को इस बारे में बताया हो कि उनके द्वारा जबरन स्वीकारोक्ति ली गई है, ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है एवं जबरन स्वीकारोक्ति के संबंध में प्रतिवादीगण ने पुलिस में कार्यवाही की हो, वादी बैंक के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवाया हो, ऐसी कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है। इतनी बड़ी धनराशि के गबन के मामले में प्रतिवादीगण को झूठा फंसाया गया हो, जिसके संबंध में उन्होंने वादी बैंक के खिलाफ कार्यवाही की हो, ऐसी कोई साक्ष्य भी पेश नहीं की गई है।

37. गवाह **डी.ड. 1 अंकुर जैन उर्फ संदीप** ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि यह कहना सही है कि मनोज महाजन व वरूण कौशिक से उसके पिताजी का कभी कोई द्वेषतापूर्ण व्यवहार नहीं रहा। उसे जानकारी नहीं है कि एआर शर्मा से भी उसके पिता का कोई द्वेषतापूर्ण व्यवहार रहा या नहीं। इस प्रकार वादी बैंक के अधिकारी, कर्मचारियों के साथ प्रतिवादीगण का कोई द्वेषतापूर्ण संबंध रहा हो,

जिसके कारण उन्होंने झूठे प्रकरण में फंसाया हो, ऐसी कोई साक्ष्य प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। गवाह ने दस्तावेज प्रदर्श 13 में सारी लिखावट उसके पिता के हस्तलेख में नहीं हो, उस पर उनके हस्ताक्षर नही हो, इससे स्पष्ट इनकार नहीं किया है, बल्कि यह कथन किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रदर्श 13 में सारी लिखावट व ए–बी हस्ताक्षर उसके पिता के हैं या नहीं। वह अपने पिता की हस्तलिपि को थोड़ी–थोड़ी पहचानता है। इसी प्रकार दिनांक 27.08.2025 को हुई साक्ष्य में गवाह ने कथन किया है कि घेवरचंद बडौला द्वारा अपने जवाब दावे के समर्थन में ए से बी हस्ताक्षर उसके पिता के हो भी सकते हैं और नहीं भी क्योंकि उनके हस्ताक्षर वह पक्के से नहीं पहचानता। प्रदर्श 13 पर ए से बी दो स्थान पर हस्ताक्षर उसके पिता के हो भी सकते हैं और नहीं भी, कथन किया है।

38. इस प्रकार से उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में प्रदर्श 13 पर हस्ताक्षर व हस्तलेख से इस संबंध में स्पष्ट इनकार नहीं किया है कि वह उसके पिता के नहीं हो, बल्कि हो भी सकते हैं ओर नहीं भी की संभावना व्यक्त की है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज प्रदर्श 13 का निष्पादन घेवरचंद द्वारा नहीं किया गया हो, इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रतिवादी की ओर से प्रस्तत नहीं की गई है ना ही उक्त दस्तावेज पर प्रतिवादी के हस्ताक्षरों के फर्जी होने बाबत वादी बैंक के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई। इसी प्रकार दस्तावेज प्रदर्श 12 जो प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निष्पादित किए जाने का वादी गवाहान ने कथन किया है, उक्त गवाहान के कथनों व प्रस्तुत दस्तावेज के खंडन में भी कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे उक्त दस्तावेज के निष्पादन का भी किसी प्रकार से खंडन नहीं हुआ है। दस्तावेज के गवाह सत्यपाल व मनोज ने उक्त दस्तावेज मंडल प्रमुख के समक्ष सायरमल द्वारा प्रस्तुत किया जाना स्वीकार किया गया है, जिसका उनकी साक्ष्य में किसी प्रकार से खंडन नहीं हुआ है। उक्त दस्तावेज का भय, दबाव में निष्पादन का तथ्य भी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है अर्थात् उक्त स्वीकृति स्वैच्छिक

होना साक्ष्य से प्रकट है। इस प्रकार से प्रतिवादीगण द्वारा की गई स्वीकारोक्ति से भी दिनांक 17.12.2011 को किए गए आकस्मिक निरीक्षण में 64,48,300/–रुपये की राशि कम पाए जाने के तथ्य की पुष्टि होती है।

39. दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने कथन किया कि दस्तावेज प्रदर्श 12 व 13 संस्वीकृति की कोटि में आते हैं, अतः साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होने का तर्क दिया है। इस संबंध में साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों का अवलोकन किया गया। धारा 17 व 18 में स्वीकृति को परिभाषित किया गया है व कार्यवाही के पक्षकारों द्वारा किए गए कथनों को स्वीकृतियां माना गया है। धारा 23 साक्ष्य अधिनियम में सिविल मामलों में स्वीकृतियों को सुसंगत माना गया है। सिवाय साक्ष्य नहीं देने की शर्त या पक्षकार सहमत हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जा जाएगा, के सिवाय स्वीकृति सुसंगत मानी गई है। हस्तगत प्रकरण सिविल प्रकरण है, जिनमें स्वीकृति मूलभूत साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। सिविल मामलों के साक्ष्य की स्थिति फौजदारी प्रकरणों में साक्ष्य से कहीं अधिक लचीले व विस्तृत है। स्वीकृति स्वैच्छिक है या नहीं, इसको फौजदारी प्रकरण में अधिक कठोरता से लागू किया जाता है। सिविल मामलों में कथन सत्य है या नहीं, उनकी सुसंगतता ग्राह्यता का आधार है और साधारणतया ग्राह्य है। इसके अतिरिक्त फौजदारी प्रकरण में संदेह से परे प्रमाणित करने का सिद्धान्त लागू होता है, जबकि सिविल मामलों में अधिसंभाव्यता की प्रबलता का सिद्धान्त लागू होता है। अतः हस्तगत सिविल प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 12 व 13 को जिन गवाहान के समक्ष निष्पादित किया गया, उनके द्वारा प्रमाणित किया गया, जिनका खंडन प्रतिवादीगण ने नहीं किया है। उक्त स्वीकृतियां प्रकरण में सुसंगत होने से साक्ष्य में ग्राह्य है तथा उक्त स्वीकृतियों का गवाहान की उपस्थिति में किया जाना व स्वैच्छिक होना भी साक्ष्य से प्रमाणित है। स्वीकृतियां भय, दबाव में की गई हो, ऐसी कोई साक्ष्य प्रतिवादीगण ने पेश नहीं की है। जहां तक प्रतिवादी अधिवक्ता का यह कथन है कि स्वीकृतियों में उनके विरूद्ध पुलिस कार्यवाही नहीं की जावे का उल्लेख होने से दबाव होना प्रकट

होता है तो इस संबंध में दस्तावेज प्रदर्श 12 सायरमल की स्वीकृति व प्रदर्श 13 घेवरचंद की स्वीकृति है, उनमें पुलिस कार्यवाही नहीं की जावे का अंकन है, परंतु सिविल कार्यवाही नहीं की जाएगी, ऐसा अंकन नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त स्वीकृतियों में उक्त राशि स्वयं द्वारा उपयोग लेना व राशि अदा करने का वचन अंकित है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त स्वीकृति दायित्व की अभिस्वीकृति है, जो सिविल कार्यवाही में पूर्ण रूप से साक्ष्य में ग्राह्य है। अतः उक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

40. इसके अतिरिक्त प्रकरण में उक्त घटना के फलस्वरुप मंडल प्रमुख द्वारा दिनांक 17.12.2011 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 647/2011 अंतर्गत धारा 409 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना मदनगंज में दर्ज करवाई गई थी, जो प्रदर्श 6 है, उक्त प्रकरण में बाद अनुसंधान सायरमल एवं घेवरचंद बडौला के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया, जिसकी अंतिम रिपोर्ट प्रदर्श 4 है। उक्त आरोप पत्र प्रतिवादीगण सायरमल व घेवरचंद बडौला के विरुद्ध न्यायालय में पेश किया गया है, जिस पर बाद विचारण अभियुक्त घेवरचंद को दिनांक 15.12.2012 को धारा 409 व 120 बी भारतीय दंड संहिता के अपराध में दोष सिद्ध किया जाकर दंडित किया गया है। सायरमल के अनुपस्थिति के कारण उसके विरुद्ध तितम्बा चालान बाद में दिनांक 23.03.2013 को प्रस्तुत किया गया है, जो प्रदर्श 3 है तथा सायरमल के विरुद्ध दिनांक 08.04.2013 को धारा 409, 120 बी भारतीय दंड संहिता के अपराध में आरोप विरचित किए गए हैं। घेवरचंद बडौला द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 15.12.2012 के विरुद्ध अपील माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, किशनगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 30.01.2014 को अपील खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के दंडादेश/आदेश की पुष्टि की गई। उक्त दोषसिद्धि के अपास्त बाबत कोई आदेश उच्च न्यायालय का प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील उच्चतर न्यायालय में की गई हो, ऐसा कोई अपील मीमो भी पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के विरुद्ध फौजदारी प्रकरण में आरोप पत्र पेश होना तथा दस्तावेज निर्णय प्रदर्श 1 व 2 के अनुसार घेवरचंद बडौला को वादी बैंक ने आकस्मिक जांच के दौरान कम पायी गई धनराशि के संबंध में दोषसिद्ध किए जाने के तथ्य से भी वादी के कथनों की ताईद होती है। इस प्रकार से वादी द्वारा अपनी साक्ष्य में आकस्मिक जांच के दौरान वादी बैंक के स्ट्रांग रूम एवं एटीएम पर उपलब्ध समस्त नकदी राशि अभिलेखों पर उपलब्ध राशि की तुलना में 64,48,300/–रुपये कम पाए जाने का तथ्य साक्ष्य से प्रमाणित किया है।

41. तत्समय वादी बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक के तौर पर प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद बडौला का कार्यरत होना व मुख्य खजांची के पद पर प्रतिवादी संख्या 2 सायरमल का कार्यरत होना भी साक्ष्य से प्रमाणित है। उक्त घेवरचंद बडोला व सायरमल दोनों के द्वारा भी अपनी स्वीकारोक्ति प्रदर्श 12 व 13 के अंदर वादी बैंक में आकस्मिक जांच में कम पाई गई राशि अपने उपयोग में लिए जाना स्वीकार किया है। उक्त दस्तावेजों का किसी प्रकार से खंडन नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण के विरुद्ध की गई आपराधिक कार्यवाही में भी उनका वादी बैंक में गबन किए जाने का तथ्य प्रमाणित होने से प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद को दोष सिद्ध किया गया तथा प्रतिवादी सं. 2 सायरमल के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए हैं। सायरमल को उक्त आरोपों से उन्मोचित कर दिया गया हो या दोषमुक्त कर दिया गया हो, ऐसी कोई साक्ष्य प्रतिवादी सं. 2 सायरमल द्वारा पेश नहीं की गई है। चूंकि वादी बैंक में कम पाई गई राशि का प्रतिवादीगण द्वारा उपयोग में लिए जाने का तथ्य प्रमाणित है। अतः ऐसी स्थिति में वादी बैंक प्रतिवादी सं. 1 व 2 से संयुक्त रूप से व पृथकतः कम पाई गई राशि कुल 64,48,300/–रुपये मय ब्याज वसूल करने की अधिकारिणी है।

42. दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान की ओर से कथन किया है कि दौराने विचारण प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद बडौला की मृत्यु हो गई है। वादी साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है कि उक्त राशि प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान द्वारा उपयोग में ली गई हो। अतः ऐसी स्थिति में वादी बैंक उक्त राशि को

यदि पाई जाती है तो प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान से वसूल नहीं कर सकती है ना ही उक्त राशि वादी बैंक द्वारा उधार दी गई है ना ही उक्त राशि ऐसी किसी संपत्ति से वसूल की जा सकती है, जो प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान ने पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त की हो क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 के पिता सरकारी कर्मचारी थे। उनके दादा ने प्रतिवादी सं. 1 को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान उक्त राशि की अदायगी के लिए दायित्वाधीन नहीं है। इस संबंध में वादी व प्रतिवादी साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो वादी गवाह **पी.ड. 1 टुण्डाराम मीणा** ने अपनी साक्ष्य में मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में यह कथन किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 17.12.2011 को उक्त वर्णितानुसार बैंक अभिलेखों की तुलना में भौतिक रूप से कम पाई गई नकद राशि 64,48,300 /– रुपए के सम्बन्ध में प्रस्तुत स्वीकारोक्तियों के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा संयुक्त रूप से उक्त राशि का गबन कर बैंक धन को व्यक्तिगत उपयोग में लिया गया है एवं स्वीकारोक्तियों में अंकित उक्त राशि बैंक को वापस अदा नहीं की गई है। इसलिए दोनों ही प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से एवं पृथक–पृथक रूप से उक्त राशि वादी बैंक को अदा करने हेतु जिम्मेदार हैं एवं वादी बैंक प्रतिवादीगण से उक्त राशि संयुक्त रूप से एवं पृथक–पृथक रूप से वसूल करने के अधिकारिणी है। इसके अतिरिक्त गवाह ने ग्राम टांटोटी, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर के राजस्व अभिलेख की जमाबन्दी संवत् 2065 से 68 में प्रतिवादी नं. 1 के हक में स्थित कृषि भूमि का विवरण साक्ष्य शपथ के पैरा सं. 17 में वर्णितानुसार बतायी है। **जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि यह बात सही है कि जिस राशि की वसूली का वाद है, उक्त राशि प्रतिवादी घेवरचंद के द्वारा ऋण स्वरूप प्राप्त नहीं की गई थी। अजखुद कहा कि उक्त राशि घेवरचंद ने गबन करके प्राप्त की थी फिर कहा के गबन करके बैंक से प्राप्त की थी। यह कहना सही है कि मंजू, प्रदीप व संदीप ने कोई गबन नहीं किया है। अजखुद कहा कि घेवरचंद ने किया था। यह कहना सही है कि घेवरचंद से मंजू, प्रदीप व संदीप ने कोई संपत्ति प्राप्त की हो, उसका दस्तावेज उसने पेश नहीं किया। यह बात सही है कि घेवरचंद ने यह गबन राशि

किस मद मे खर्च की उसका कोई दस्तावेज उसने पत्रावली पर पेश नहीं किया। अजखुद कहा कि दिनांक 06.02.2012 को घेवरचंद ने उसे बताया था कि यह गबन राशि को उसने अपने बच्चों के बिजनेस में लगाया है, जो कि चेन्नई में स्थापित किया है, बडौला जी उनकी बैंक ऑफिसर यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर थे, इसलिए उसने उनसे यह पूछा था कि ऐसी क्या बात हो गई जो आपने इतनी राशि का गबन किया। यह कहना सही है कि जो उसके द्वारा दिनांक 06.02.2012 की बात बताई है, उसके संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। यह कहना सही है कि उसके द्वारा दिनांक 06.02.2012 के वार्तालाप की कोई वीडियो क्लिप नहीं है। यह कहना सही है कि दिनांक 06.02.2012 को उसके द्वारा जो वार्तालाप करना बताया गया है, उसके संबंध में प्रश्नगत वाद में अंकन नहीं हैं। यह कहना सही है कि दिनांक 06.02.2012 को उसके द्वारा जो वार्तालाप करना बताया गया है, उसके संबंध में उसके साक्ष्य के शपथ पत्र दिनांक 05.07.2017 में भी अंकन नहीं हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्श 14, 15, 16 में घेवरचंद के नाम का हवाला नहीं हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्श 14, 15, 16 की संपत्ति घेवरचंद को प्राप्त हुई हो, उक्त का हवाला भी प्रदर्श 14, 15, 16 में नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्श 14, 15, 16 की संपत्ति मंजू, प्रदीप व संदीप को मिली हो, इस बात का हवाला भी प्रदर्श 14, 15, 16 में नहीं हैं। यह बात सही है कि उसके द्वारा गबन की राशि को बिजनेस में लगाना बताया है, उक्त बाबत वह कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सकता। अजखुद कहा कि उसे घवेरचंद बडौला ने मौखिक रूप से यह बताया था कि उक्त राशि उन्होंने बच्चों के बिजनेस में लगाई थी। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह कहना सही है कि उक्त संपत्ति प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद के वारिसान मंजू, संदीप, प्रदीप को प्राप्त हो गई हो ऐसा कोई दस्तावेज उसके द्वारा पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया। अजखुद कहा कि घेवरचंद, सौभागमल के प्राकृतिक वारिसान है। अतः उनके नाम की संपत्ति में घेवरचंद का हिस्सा कानूनी रूप से मान्य है। यह कहना सही है कि मूल वादपत्र व संशोधित वादपत्र के पैरा संख्या 17(1)(2)(3)(4) व उसके द्वारा पेश साक्ष्य के शपथ पत्र के पैरा संख्या 17(1)(2)(3)(4) में

वर्णित भूमि कृषि भूमि ही है। यह कहना सही है कि कृषि भूमि में खातेदार की मृत्यु होने के बाद विरासत का नामांतरण उसके वारिसानों के नाम खुलता है। यह कहना सही है कि सौभागमल की मृत्यु के बाद प्रतिवादी घेवरचंद के पक्ष में विरासत का नामांतरण खुला हो तो ऐसा कोई दस्तावेज उसने पत्रावली पर पेश नहीं किया है। यह कहना सही है कि सौभागमल की मृत्यु के बाद उसकी कृषि भूमि का नामांतरण किस व्यक्ति के नाम खोला, इसकी उसे जानकारी नही है। अजखुद कहा कि जिस दिन दावा दायर किया था उस दिन दस्तावेजों के आधार पर घेवरचंद बडौला का हिस्सा सौभागमल के वारिसान होने के नाते प्राकृतिक रूप से हिस्सा बनता है। यह कहना सही है कि सौभागमल के द्वारा अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 1 घेवरचंद को अपनी संपत्ति से वंचित कर दिया हो तो उसे पता नहीं है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा पेश जवाबदावा दिनांक 08.03.2013 के पेज नंबर 12 के विशेष कथन के पैरा संख्या 3 में ए से बी के मध्य यह कथन अंकित है कि सौभागमल के द्वारा अपने जीवनकाल में ही प्रतिवादी संख्या 1 को वाद के पैरा संख्या 17(1)(2)(3)(4) में वर्णित संपत्ति से वंचित करने व वसीयत निष्पादित करने के तथ्य अंकित हैं। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श 1 में बैंकधन को व्यक्तिगत उपयोग में लिये जाने बाबत तथ्य ए से बी के मध्य स्थित हैं। यह कहना सही है कि गबन किये जाना बताई गई राशि प्रतिवादी संख्या 1 से वसूल की जायेगी इस बाबत प्रदर्श 1 में कोई आदेश नही हैं। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श 2 निर्णय में भी न्यायालय के द्वारा उनके द्वारा बताई गई गबन की राशि प्रतिवादी संख्या 1 से वसूल की जायेगी इस बाबत कोई आदेश नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श 4 चार्जशीट में सी से डी के मध्य बैंक धन को अपने व्यक्तिगत उपयोग में लिये जाने का तथ्य अंकित है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसने अपने दावे में जो प्रार्थना की हैं उसमें दोनों प्रतिवादीगण के संयुक्त रूप से अनुतोष की मांग की हैं। यह कहना सही हैं कि उसके द्वारा चाही गई प्रार्थना में प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2

दोनों के लिए अलग–अलग राशि का विवरण नहीं है।

43. इस प्रकार से उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद के द्वारा बैंक से गबन करके राशि प्राप्त किए जाने का कथन किया है। उसके वारिसान ने गबन किया हो इस तथ्य से इनकार किया है। प्रतिवादी घेवरचंद के वारिसान ने कोई राशि प्राप्त की हो, संपत्ति प्राप्त की हो, इस बाबत दस्तावेज पेश करने से इनकार किया है। उक्त गबन की राशि प्रतिवादी संख्या 1 घेवरचंद के वारिसान द्वारा स्वयं के उपयोग में ली गई हो, इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है ना ही कोई दस्तावेज पेश किया है। उक्त बैंक की राशि का उपयोग प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान के उपयोग के लिए प्रतिवादी ने किया हो, यह तथ्य मौखिक साक्ष्य से व दस्तावेजी साक्ष्य से प्रकट नहीं, बल्कि वादी ने अपने वादपत्र में उक्त राशि प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा व्यक्तिगत उपयोग में लेना बताया है। बाद में दौराने विचारण प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु होने पर प्रस्तुत जवाबुलजवाब में वारिसान की शिक्षा व व्यापार में खर्च करना बताया है, उक्त अभिवचन विरोधाभासी है। प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान क्या व्यवसाय करते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई की थी या नहीं, इस बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं है। वादी ने अपनी साक्ष्य में **06.02.2017** को प्रतिवादी घेवरचंद द्वारा उक्त राशि अपने बच्चों के व्यापार में लगाना बताया है, उसका उल्लेख ना तो वादपत्र में किया है ना ही साक्ष्य शपथ पत्र में किया है। अतः उक्त साक्ष्य विश्वसनीय होना प्रकट नहीं होता है। वादी द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं की गई है, जिससे यह प्रकट हो कि उक्त राशि प्रतिवादी सं. 1 ने अपने बच्चों के व्यवसाय अथवा शिक्षा में खर्च की थी ना ही ऐसा कोई तथ्य प्रतिवादीगण की स्वीकृतियों में अंकित है। अतः प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने बच्चों के व्यवसाय व शिक्षा में उक्त राशि खर्च की हो, यह तथ्य साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है, परंतु व्यक्तिगत उपयोग में लेना स्वयं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की स्वीकृतियों से प्रमाणित है। प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान के उपयोग में उक्त गबन की राशि का उपयोग किया जाना साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है, परंतु प्रतिवादी सं. 1

घेवरचंद द्वारा उक्त राशि व्यक्तिगत उपयोग में लेना प्रमाणित है। व्यक्तिगत उपयोग में ली गई राशि के प्रति विधिक वारिसान का अदायगी का व्यक्तिगत दायित्व विधिक प्रावधानों के तहत अधिरोपित नहीं किया जा सकता है, बल्कि प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान उक्त राशि की अदायगी के लिए उस सीमा तक दायित्वाधीन है, जहां तक उन्होंने प्रतिवादी सं. 1 से विरासतन संपत्ति प्राप्त की है, केवल ऐसी संपत्ति से उक्त राशि वसूल की जा सकती है। इस संबंध में वादी ने अपनी साक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सौभागमल की कृषि भूमि बाबत दस्तावेज प्रदर्श 14, 15, 16 को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया है। उक्त कृषि भूमि के संबंध में नामांतरण प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में नहीं खुलने के आधार पर उक्त संपत्ति पर प्रतिवादी सं. 1 का कोई हक हिस्सा नहीं होने का कथन प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान द्वारा किया गया है तथा वादी गवाह पी.ड. 1 को भी सुझाव दिया गया, जिस पर गवाह ने ऐसा दस्तावेज नामांतरण बाबत पेश नहीं करना स्वीकार किया है, परंतु वादी बैंक द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के पिता सौभागमल के संपत्ति के स्वामित्व बाबत जो दस्तावेज जमाबंदी पेश की गई है, उक्त संपत्ति में प्रतिवादी सं. 1 का कोई हक हिस्सा नहीं हो, इस तथ्य को प्रमाणित नहीं किया है। उक्त हिस्से से प्रतिवादी सं. 1 को उसके पिता ने वसीयत से वंचित कर दिया हो या संपत्ति से बेदखल कर दिया हो, ऐसी भी साक्ष्य पेश नहीं की है। अतः उक्त जमाबंदी में सौभागमल की मृत्यु के पश्चात् नामांतरण नहीं खुलने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि उक्त संपत्ति में प्रतिवादी सं. 1 का हक हिस्सा नहीं रहा है। नामांतरण स्वामित्व का सबूत नहीं है, पैतृक संपत्ति में हिस्सा जन्म पर प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी सं. 1 के पिता की मृत्यु होने पर प्रतिवादी सं. 1 को उसका हक हिस्सा भी विरासतन प्राप्त होगा, जब तक कि वह वंचित न कर दिया जाए। प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त अपने हिस्से का हकत्याग कर दिया हो या उसे उसके पिता ने अपने हिस्से से बेदखल कर दिया हो या वसीयत द्वारा वंचित कर दिया हो ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। सौभागमल की मृत्यु होने से प्रतिवादीगण ने इनकार नहीं किया है। अतः प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी से प्रतिवादी सं. 1 का पैतृक संपत्ति में हिस्सा व अपने

मृत पिता सौभागमल की संपत्ति में हक हिस्सा होना प्रकट होता है। उक्त संपत्ति का अंतरण दौराने विचारण कर दिया गया हो यह तथ्य भी प्रतिवादी साक्ष्य से प्रकट नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान ने उक्त संपत्ति के अलावा अन्य कोई संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 से विरासतन प्राप्त की हो ऐसी कोई साक्ष्य पेश वादी की ओर से नहीं हुई है।

44. यद्यपि **प्रतिवादी गवाह डी.ड. 1 अंकुर जैन उर्फ संदीप** ने अपनी साक्ष्य में अपने पिता को संपत्ति से निष्कासन के लिए उसके पिता का बैंक में नौकरी करना व गलत शौक लगना, सट्टा, वायदा व्यापार के गलत शौक लगने से अपनी सैलेरी से एक पैसा उन्हें नहीं देना व इन सब बातों के खिलाफ उसके दादाजी होने से जवाब दावे के पेज सं. 8 में सी से डी के मध्य प्रतिवादी सं. 1 के सेवारत होने के कारण उसे संपत्ति में कोई हक हिस्सा नहीं दिए जाने के आधार का अंकन किया है, परंतु उसके पिता द्वारा सट्टा वायदा व्यापार में राशि लगाई गई हो इस बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। सौभागमल के द्वारा उसके पिता घेवरचंद को जायदाद में हिस्सा नहीं देने बाबत कोई दस्तावेज पंजीकृत निष्पादित किया गया हो, के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने की होगी, उसे जानकारी नहीं होना बताया है। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि वह वायदा कारोबार सट्टा के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकता है। यह सब उसके पापा ने बताया था। उन्होंने अपने पिता के विरूद्ध वायदा व्यापार एवं सट्टे के संबंध में बैंक अथवा पुलिस थाने में शिकायत पेश नहीं की। गवाह से पूछा गया कि प्रश्न कि क्या उन्होंने दादा जी की संपत्ति में हक प्राप्त करने के लिए कोई कानूनी कार्यवाही की, क्या कोई संपत्ति के बंटवारे का दावा किया, के उत्तर में संपत्ति के बंटवारे के लिए कोई दावा नहीं करना, जिसका कारण उनके दादा जी के उन पर बड़े अहसान होना बताया है। उन्होंने संपत्ति से वंचित करने के बावजूद उनका बहुत ध्यान रखा था।

45. इस प्रकार से उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में अपने दादा की संपत्ति में अपना हक हिस्सा बंटवारा करवाए जाने से इनकार किया है तथा उसका कारण

उनके दादा का उन पर एहसान होना बताया है। उक्त संपत्ति का अंतरण कर दिया गया हो ऐसा कोई कथन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। उसके दादा ने अपनी संपत्ति से प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद को वंचित कर दिया हो या प्रतिवादी सं. 1 ने हकत्याग कर दिया हो, ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा जो वाद पत्र में पद संख्या 17 में 1, 2, 3, 4 संपत्तियां व कुल हिस्सा अंकित किया है, समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श 14, 15 व 16 पेश है, उनमें प्रतिवादी सं. 1 का हक हिस्सा होना प्रकट है, जिसका खंडन नहीं हुआ है। वादी ने गबन राशि का प्रतिवादी घेवरचंद के वारिसान के व्यवसाय व शिक्षा हेतु उपयोग किए जाने का कथन किया है। इस संबंध में कोई ठोस मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। वादी ने दिनांक 06.02.2012 को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उक्त तथ्य बताए जाने का कथन किया है। उसके द्वारा उक्त गबन राशि का उपयोग अपने बच्चों के व्यवसाय व शिक्षा के लिए किया गया है, परंतु उक्त कथन किए जाने के संबंध में कोई अभिवचन वादपत्र व साक्ष्य शपथ पत्र में नहीं किए हैं। वादी द्वारा अपने वादपत्र में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा गबन राशि अपने व्यक्तिगत उपयोग में लिए जाने का अंकन है तथा ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा गबन राशि का अपने बच्चों के व्यवसाय एवं शिक्षा में उपयोग में लिया गया ना ही साक्ष्य शपथ पत्र में ऐसा अंकन है ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उकत तथ्य माने जाने योग्य नहीं है, जो स्वीकारोक्ति प्रदर्श 12 व 13 प्रस्तुत की गई है उनमें भी प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 द्वारा व्यक्तिगत उपयोग में लिए जाने का अंकन नहीं है, बच्चों के व्यवसाय व शिक्षा में उपयोग में लिया गया हो, यह अंकित नहीं है। अतः गबन की राशि बच्चों के उपयोग में खर्च की गई हो, साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है, बल्कि उक्त राशि का प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद द्वारा व्यक्तिगत कार्यों में खर्च करना साक्ष्य से प्रकट हुआ है। उक्त गबन की राशि के लिए मृतक घेवरचंद के वारिसान वादपत्र के पैरा सं. 17 में वर्णित संपत्ति में मृतक के हिस्से की संपत्ति जो विरासतन उन्होंने प्राप्त की है, की हद तक दायित्वाधीन है। उक्त संपत्ति अन्यत्र अंतरित करने की साक्ष्य नहीं है। यदि उक्त हिस्से की संपत्ति दौराने

विचारण विक्रय, रहन या अन्यथा अंतरित कर भी दी गई है तो भी अंतरण वर्ष को उक्त संपत्ति के विक्रय राशि के आधार पर उक्त वसूली योग्य राशि की अदायगी किए जाने के वारिसान दायित्वाधीन है। प्रतिवादी सं. 2 सायरमल के विरूद्ध भी साक्ष्य से गबन की राशि का व्यक्तिगत उपयोग उपभोग किए जाने का तथ्य प्रमाणित है। यद्यपि प्रतिवादी सं. 2 की स्वीकृति में दस लाख रुपये उसके द्वारा उपयोग में लेने का अंकन है, परंतु प्रतिवादी सं. 2 ने ऐसी साक्ष्य पेश नहीं की कि उसके द्वारा दस लाख रुपये ही उपयोग में लिए गए हो, बल्कि जवाबदावा में राशि लेने से इनकार किया है। अतः ऐसी स्थिति में गबन की राशि की अदायगी का दायित्व प्रतिवादी सं. 1 व 2 का संयुक्तः व पृथकतः है। चूंकि प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु हो चुकी है। अतः उसकी उक्त संपत्ति में हिस्सा, जो विधिक वारिसान प्रतिवादी सं. 1/1 लगायत 1/4 ने प्राप्त किया है, वह संपत्ति संयुक्तः व पृथकतः गबन की राशि के प्रति दायित्वाधीन है तथा प्रतिवादी सं. 2 व्यक्तिगत रूप से संयुक्तः व पृथकतः गबन की राशि अदा करने के दायित्वाधीन है तथा उक्त राशि पर ब्याज अदा करने के भी दायी है।

46. वादी ने प्रतिवादीगण से वादपत्र के पैरा सं. 15 में 5,88,029/–रुपये दिनांक 17.12.2011 से वाद प्रस्तुति तक ब्याज के रूप में 12 प्रतिशत वार्षिक दर से जोड़ते हुए कुल 70,36,329/–रुपये संयुक्तः व पृथकतः प्राप्त करने का अधिकारी होना बताया है, परंतु 12 प्रतिशत दर के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः गबन की मूल राशि 64,48,300/–रुपये पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर के हिसाब से साधारण ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा संयुक्त रूप से 64,48,300/–रुपये गबन किए जाने का तथ्स साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है। उक्त राशि का प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने बचो की शिक्षा व व्यवसाय में खर्च किया जाना साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। अतः प्रतिवादी सं. 1 के विधिक वारिसान प्रतिवादी सं. 1/1 लगायत 1/4 का उक्त राशी की अदायगी का कोई व्यक्तिगत दायित्व होना प्रमाणित नहीं है,

परंतु प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद के वारिसान प्रतिवादी सं. 1/1 लगायत 1/4 ने विरासतन जो संपत्ति प्रतिवादी सं. 1 से प्राप्त की है, उस संपत्ति से उक्त गबन की राशि को संयुक्ततः व पृथकतः अदायगी के लिए दायित्वाधीन है। यदि उक्त राशि का दौराने विचारण अन्यत्र विक्रय या अन्यथा अंतरण कर भी दिया गया है तो वादपत्र के पद सं. 17 में वर्णित संपत्ति या अन्य संपत्ति, जो विरासतन प्राप्त की है के विक्रय मूल्य की राशि से उक्त गबन की राशि प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान से वसूल की जा सकेगी। उक्त गबन की मूल राशि पर दिनांक 17.12.2011 से वाद प्रस्तुति तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज राशि की गणना की जाकर उक्त राशि वादी वसूलने के हकदार रहेंगे तथा प्रतिवादी सं. 2 से व्यक्तिगत रूप से संयुक्ततः व पृथकतः उक्त राशि की उक्त दिनांक 17.12.2011 से वाद प्रस्तुति तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज राशि सहित वसूलने के हकदार होंगे। इस प्रकार विवाद्यक सं. 1 उक्तानुसार आंशिक रूप से वादी के पक्ष में तथा विवाद्यक सं. 5 आंशिक रूप से प्रतिवादी सं. 1 से विरासतन प्राप्त संपत्ति की हद तक अदायगी के दायित्व तक प्रतिवादी के विरूद्ध तय किया जाता है।

विवाद्यक सं. 2– न्यायालय द्वारा विवाद्यक सं. 2 निम्न रूप में विरचित किया गया हैः–

आया वादी बैंक प्रतिवादीगण से वादग्रस्त राशि का वाद की दिनांक से वाद की रकम की चुकती अदायगी तक घटते शेष 12 प्रतिशत वार्षिक दर से दैनिक शेष के आधार पर ब्याज वसूल करने की अधिकारिणी है?

47. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर है। इस संबंध में वादी ने 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज दावा प्रस्तुति से राशि की अदायगी तक वसूल करने का अधिकारी होना बताया है। वादी गवाह ने मौखिक कथन किए हैं, परंतु दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। अतः 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अधिरोपित किया जाना साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है, परंतु 6 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज वाद प्रस्तुति से राशि प्राप्ति तक दिलाया जाना न्यायोचित है। अतः

उक्त विवाद्यक उक्तानुसार आंशिक रूप से वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

विवाद्यक सं. 3– न्यायालय द्वारा विवाद्यक सं. 3 निम्न रूप में विरचित किया गया हैः–

आया वादी बैंक वाद पत्र के पैरा सं. 17, 18, 19 में वर्णित अचल सम्पत्तियों के चुकती रकम की अदायगी तक हस्तान्तरण नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाना उचित होंगे?

48. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने अपने वादपत्र व साक्ष्य शपथ पत्र में पैरा सं. 17, 18 व 19 में प्रतिवादी सं. 1 व 2 की अचल संपत्तियों का उल्लेख किया है, जिनका खंडन साक्ष्य में नहीं हुआ है। उक्त संपत्तियां प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा विक्रय कर या अन्यथा अंतरित कर दी गई हो, ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। यदि उक्त संपत्तियों का अंतरण कर दिया जाता है, तो निश्चय ही वसूली योग्य राशि प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अदा नहीं करने पर वादी को उक्त राशि प्राप्त करने में कठिनाई होगी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त संपत्तियों का उक्त वसूली योग्य गबन की राशि मय ब्याज की वसूली तक अंतरित किए जाने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोक लगाया जाना न्यायोचित है। अतः उक्त विवाद्यक उक्तानुसार वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

अनुतोषः–

49. इस प्रकार वादी ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा संयुक्त रूप से 64,48,300/–रुपये गबन किए जाने का तथ्य प्रमाणित किया है। अतः वादी उक्त राशि 64,48,300/–रुपये तथा दिनांक 17.11.2012 से वाद प्रस्तुति तक व वाद प्रस्तुति से उक्त राशि के वसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज राशि प्रतिवादी सं. 1 व 2 से संयुक्तः व पृथकतः प्राप्त करने का अधिकारी है। चूंकि प्रतिवादी सं. 1 की दौराने विचारण मृत्यु हो चुकी है। अतः

पूर्व विवेचनानुसार मृतक से विरासतन जो संपत्ति प्रतिवादी सं. 1/1 लगायत 1/4 ने प्राप्त की है, उक्त संपत्ति की हद तक प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान प्रतिवादी सं. 1/1 लगायत 1/4 संयुक्तः व पृथकतः दायित्वाधीन है। यदि उक्त संपत्ति जो वादपत्र के पैरा सं. 17 में अंकित है या अन्यथा विरासतन संपत्ति अन्यत्र अंतरित कर दी गई है तो उक्त संपत्ति के विक्रय मूल्य राशि की हद तक प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान प्रतिवादी सं. 1/1 लगायत 1/4 संयुक्ततः व पृथकतः दायित्वाधीन रहेंगे। उक्त राशि की अदायगी नहीं होने तक वाद पत्र के पैरा सं. 17, 18 व 19 को विक्रय करने या अन्यत्र अंतरित करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना भी न्यायोचित है। अतः उक्तानुसार वादी बैंक अनुतोष प्राप्त करने के हकदार है।

आदेश

50. परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता वास्ते वसूली रुपये विरूद्व प्रतिवादीगण **आंशिक रूप से स्वीकार** किया जाकर निम्नानुसार **डिक्री** किया जाता हैः–

(1) प्रतिवादी सं. 1/1 लगायत 1/4 व प्रतिवादी सं. 2 गबन की राशि 64,48,300/–रुपये क्रमशः प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद से विरासतन प्राप्त संपत्ति व उसकी विक्रय राशि की हद तक तथा प्रतिवादी सं. 2 व्यक्तिगत रूप से संयुक्ततः व पृथकतः मय ब्याज 6 प्रतिशत साधारण ब्याज वार्षिक दर पर दिनांक 17.11.2012 से वाद प्रस्तुति तक व 6 प्रतिशत साधारण ब्याज वार्षिक दर पर वाद प्रस्तुति से राशि की अदायगी तक 02 माह में अदा करेंगे।

(2) यदि पूर्व में कोई राशि उक्त गबन राशि के संबंध में वादी बैंक में जमा करवाई गई है तो उक्त राशि मूल गबन राशि 64,48,300/–रुपये में समायोजित की जाएगी तथा जमा की दिनांक पर शेष गबन राशि पर उक्त 6 प्रतिशत साधारण ब्याज वार्षिक दर से उक्तानुसार देय होगा।

(3) प्रतिवादी सं. 1/1 लगायत 1/4 व प्रतिवादी सं. 2 को जरिए स्थाई

निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे उक्त राशि की अदायगी तक वादपत्र के पैरा सं. 17, 18 व 19 में वर्णित अचल संपत्ति को विक्रय, रहन या अन्यथा अन्यत्र अंतरित नहीं करेंगे।

(4) वादी द्वारा चाहा गया शेष अनुतोष अस्वीकार किया जाता है।

(5) खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

(6) तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

(शालिनी शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 2,
किशनगढ़, जिला अजमेर।

51. निर्णय आज दिनांक 26.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं अभिघोषित किया गया।

(शालिनी शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 2,
किशनगढ़, जिला अजमेर।

GANPAT SINGH SOLANKI
Steno Gr. II
“Authenticated Document”
Digitally signed by GANPAT SINGH SOLANKI
Date: 2026.05.27 15:34:07 +0530